जिला आपदा प्रबन्धन योजना

2025

ब्यावर

जिला प्रशासन

व

आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–701780 / 704950–6, फैक्स 705420, 702542, ई–मेल cdm_ripa1@rediffmail.com

ब्यावर जिला एक दृष्टि में

वर्ष – 2025

जिला ब्यावर

समुद्र तल से ऊँचांई 447.14 मी.

- ब्यावर जिला दिनांक 07.08.2023 को विधिवत् रूप से अस्तित्व में आया। ब्यावर जिले का गठन अजमेर, पाली, राजसमंद एवं भीलवाडा जिले का पुनगर्ठन कर बनाया गया है। ब्यावर जिला औद्योगिक रूप से खासा समृद्व जिला है तथा एक सीमेन्ट हब के रूप में विख्यात है। जिले के प्रमुख शहरों में बिजयनगर भी दूसरा बड़ा प्रमुख व्यापारिक शहर है, जहां कपास की मंडी हैं। ब्यावर में तीन कृषि मंडी क्रमशः ब्यावर, जैतारण एवं बिजयनगर है। शिक्षा की दृष्टि से यहां 8 सरकारी कॉलेज है। चिकित्सा की दृष्टि से यहां अमृतकौर राजकीय चिकित्सालय है। सड़क एवं रेल्वे से पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ एक शांत शहर है। चारों ओर से यह परकोटे से घिरा हुआ है, जिसके चार प्रमुख गेट है, जिन्हे क्रमशः अजमेरी गेट, सूरजपोल गेट, चांग गेट, मेवाड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। इसके परकोटे की लम्बाई 10,569 फिट है। इस शहर की नींव कर्नल डिक्सन द्वारा 01 फरवरी 1836 को अजमेरी गेट पर रखी थी। जिला प्राकृतिक रूप से टॉडगढ़ रावली अभयारण्य का सौन्दर्य अपने में समेटे हुए है। सेंदडा की पुरानी मनमोह देने वाली ग्रेनाइट चट्टानें एवं बदनोर व मसूदा की खदानों की अलग ही छटा है। तेजा मेला, बादशाह की सवारी, कोड़ा मार होली की परम्पराएं इसे पारम्परिक रूप से समृद्ध बनाती है। यहां के खान पान में मुख्यतः दाल–लापसी का स्वाद एवं मोठ की बनी विशेष कढी व मक्के की रोटी एवं उड़द की दाल का स्वाद का मिलन मुंह में पानी ला देता है। ब्यावर जिला पूरे भारत में तिलपट्टी के लिये भी मशहुर है। जिले की संरचना 6 उपखण्ड, 7 तहसील, 3 उपतहसील एवं 5 पंचायत समितियों से बनी हुई है। ब्यावर जिले में 6 विधानसभा एवं 4 लोकसभा क्षेत्रों का समावेश भी है।

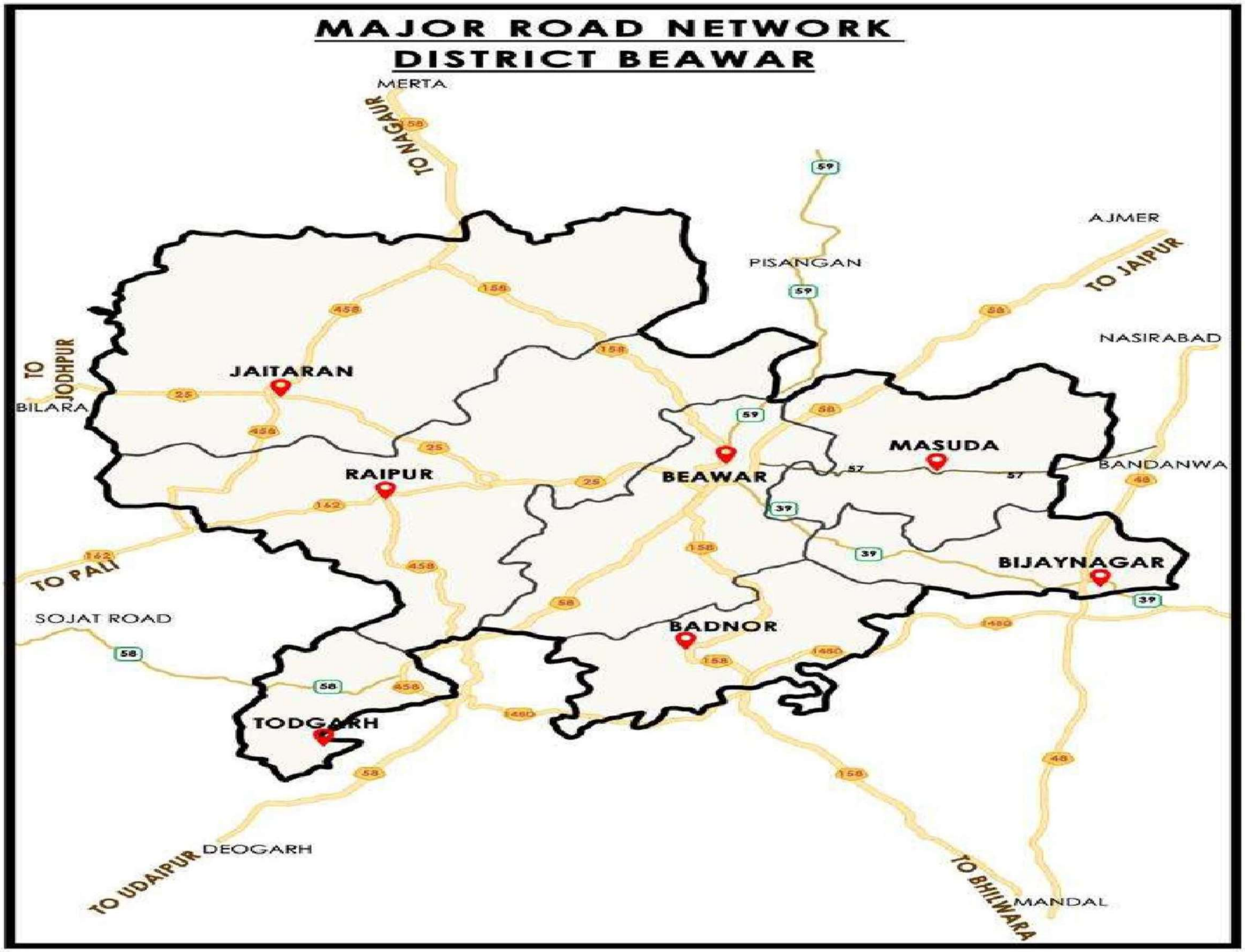
MAJOR ROAD NETWORK
DISTRICT BEAWAR
MERTA
TO NAGAUR
TO JODHPUR
BILARA
JAITARAN
RAIPUR
TO PALI
SOJAT ROAD
TODGARH
DEOGARH
TO UDAIPUR
PISANGAN
BEAWAR
BADNOR
MASUDA
AJMER
TO JAIPUR
NASIRABAD
BANDANWA
BIJAYNAGAR
TO BHILWARA
MANDAL

भौगोलिक स्थिति

- **देशांतर एवं अक्षांशीय विस्तार**: **26.07° N, 74.32° E**
- **कुल क्षेत्रफल**: लगभग 5,800 वर्ग किमी
- **सीमाएँ**:
    - उत्तर में **अजमेर जिला**
    - दक्षिण में **पाली जिला**
    - पूर्व में **राजसमंद जिला**
    - पश्चिम में **नागौर जिला**
- **जलवायु**:
    - गर्मियों में तापमान **45°C तक** पहुँच सकता है।
    - सर्दियों में न्यूनतम तापमान **4°C तक** गिर सकता है।
- **भूभाग**:
    - **यहाँ मैदानी और पहाड़ी भूभाग का मिश्रण है।**
    - **मुख्य रूप से कृषि, उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. प्रमुख युद्ध

- **बदनोर का युद्ध (1457)**: राणा कुंभा vs मुहम्मद खिलजी के मध्य लड़ा गया जिसमे राणा कुम्भा विजय रहा
- **गिरी - सुमेल का युद्ध:- 05 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और राव मालदेव की (सेनानायक राव जैता एंव कूंपा) के मध्य हुआ जिसमें शेरशाह सूरी विजय रहा।**

  ऐतिहासिक कथन:- शेरशाह सूरी -आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान कि सल्तनत खो देता।

2. प्राचीन स्थल

•ओझियाना सभ्यता:
- **स्थान**: बदनौर (खारी नदी तट)
- **काल**: 2500-1500 ईसा पूर्व (ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति)

ओझियाना सभ्यता का उत्खनन कार्य बी आर मीणा एवं त्रिलोक त्रिपाठी के निर्देशन में 1999–2000 एवं 2000–2001 में किया गया जिसमें मिट्टी के बर्तन टेराकोटा मूर्तियॉ और तांबे के औजार एवं विभिन्न मनके मिले।

3. किले एवं दुर्ग

•बदनोर दुर्ग: महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित बदनोर फोर्ट एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन किला है जो अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। भीलवाड़ा का यह किला सात मंजिला हैं और बदनोर किले में मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है।

•जैतारण दुर्ग: ऐतिहासिक रणनीतिक महत्व

•आगेवा दुर्ग- जैतारण (व्यावर)

•टॉडगढ़ दुर्ग (गिरी दुर्ग) ब्यावर जिले में

भौगोलिक स्थिति एवं सीमाएँ

- **संभाग**: अजमेर
- **स्थापना**: **कर्नल एरिक डिक्सन** द्वारा 1850 के दशक में परकोटा बनाकर
- **राष्ट्रीय राजमार्ग**: NH-25, NH-58, NH-158, NH-45
- **प्रमुख नदियाँ**:
    - लूनी (अब पाली से सम्बन्ध विच्छेद), गुड़िया, बाजाकुडी, सुकड़ी, खारी आदि प्रमुख नदिया है जो अधिकतर मोसमी है
    - **नारायण सागर बांध**: खारी नदी पर (1955 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा नींव रखी)

प्राकृतिक विशेषताएँ

1. पर्वत एवं दर्रे

•मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ:

- **गोरमजी** (934 मीटर) ब्यावर जिले की सर्वोच्च चोटी जो कि अरावली पहाडी पर टॉडगढ़ उपखण्ड में स्थित है। जो पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है।
- **मेरियाजी (टॉडगढ़)** (933 मीटर)

•दर्रे:

1- बर दर्रा:- ब्यावर को पाली जिले से जोड़ता है।
2- शिवपुरा घाटा दर्रा:- जो बिजयनगर से ब्यावर राजमार्ग पर स्थित है।

2. वन्यजीव एवं जलाशय

- **रावली टाडगढ़ अभयारण्य**: अजमेर, पाली, राजसमंद में विस्तृत
- **टॉडगढ़**: "राजस्थान का मिनी माउंट आबू"
- **बाटेलाव तालाब,** भोमादा बांधः- रायपुर में स्थित है।

आर्थिक एवं औद्योगिक विकास

1. प्रमुख उद्योग

सुती वस्त्र उधोग–

- **द कृष्णा मिल्स लिमिटेड (1889): राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। सेठ दामोदरदास राठी द्वारा स्थापित।**

सीमेंट उधोग–

- **श्री सीमेंट (1979): बीजी बांगुर द्वारा स्थापित**
    - उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक
    - अम्बूजा सीमेन्ट:- जैतारण
    - अल्ट्राटेक सीमेन्ट:- जैतारण

तिलपट्टी: तिलपट्टी के लिए ब्यावर विश्व भर में प्रसिद् है

2. खनिज संपदा

- वर्मीक्यूलाइट, क्यूप्राइट, लाइमस्टोन, अभ्रक आदि पाया जाता जो की उधोग का प्रमुख आधार है

3. अवसंरचना

अवशीतन केंद्र: ब्यावर व विजयनगर में स्थापित है

राजस्थान का पहला मिशनरी स्कूल: प्रदेश का पहला चर्च ब्यावर में 164 वर्ष पहले बना था

सांस्कृतिक विरासत

- **1. धार्मिक स्थल**

- **मीराबाई की जन्मस्थली**: कुड़की (जैतारण तहसील)
  - जन्म: 1498 ई. (वैशाख शुक्ल तृतीया) विवाह: 1516 ई. में भोजराज (राणा सांगा के पुत्र) से
- **देवमाली**: देवनारायण भगवान की पुण्यस्थली
- **कुशाल माता मंदिर**: बदनौर में
- **2. सांस्कृतिक आयोजन**

- **बादशाह मेला**:
  - होली पर आयोजित
  - इस मेले को ब्यावर शहर के संस्थापक कर्नल डिक्सन ने सन् 1851 में अग्रोहा, शेखावाटी, बेरी, भिवानी से आये अग्रवाल फतेहपुरिया के सहयोग से पीरामल टोड़रमल की दूकान से पाचबत्ती के पास कपड़ा बाजार से आरम्भ कियॉ जो फतेहपुरिया बाजार, अजमेरी दरवाजे से होता हुआ उप-जिला कार्यालय पर उपजिलाधिश द्धारा बादशाह के साथ गुलाल खेलने के पश्चात् रात्रि को करीब 8 बजे समाप्त हो जाता है इस मेले को देखने के लिए दूर-दूर से व आस-पास के इलाकों से हजारो नर-नारी व विदेशी सैलानी आते हैं । चारों और मेले में भारतीय संस्कृति दृष्टिगोचर होती हैं वह सभी जाति, धर्म-सम्प्रदाय के लोगोे के आपसी मेल-मिलाप व गुलाल से परस्पर खेलने व बादशाह के साथ गुलाल से खेलने का आनन्द प्राप्त होता हैं ।
  - अग्रवाल समाज द्वारा “बादशाह की सवारी” निकाली जाती है

देवमाली का मेला देवनारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनकी पूजा मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा तथा मध्यप्रदेश में होती है। इनका भव्य मंदिर आसीन्द में है।

- सितंबर 2024 में देवमाली गाँव को भारत में सबसे सुंदर पर्यटक गाँव का दर्जा दिया गया

बिराटिया कलां का मेला–

बिराटिया मे बाबा रामदेव जी का मेला भरता है जिसे भादवा मेला भी कहा जाता है यह मेला बाबा रामदेव के प्रकट्यादिवस पर शुरू होता है जो भाद्रपद की ग्यारस को भव्य जागरण के साथ शुरू होता है जो जिला ब्यावर में स्थित है।

विशेष उपलब्धियाँ एवं तथ्य

मसूदा गाँव: राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गाँव

1857 की क्रांति: ब्रिटिश छावनी थी, पर विद्रोह का केंद्र नहीं बना

जैतारण के ब्यावर में शामिल होने से लूनी नदी का पाली से सम्बन्ध समाप्त

जिला—ब्यावर

क्र. स.	नाम उपखण्ड	तहसील
1.	ब्यावर	ब्यावर
2.	टॉडगढ़	टॉडगढ़
3.	जैतारण	जैतारण
4.	रायपुर	रायपुर
5.	मसूदा	मसूदा
		बिजयनगर
6.	बदनोर	बदनोर

जिला प्रशासन

क्रम संख्या	नाम	पद
1	श्री हेमन्त गेरा	संभागीय आयुक्त, अजमेर
2	श्री ओम प्रकाश	महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेन्ज, अजमेर
3	डॉ. महेन्द्र खड़गावत	जिला कलक्टर, ब्यावर
4	श्री श्याम सिंह	जिला पुलिस अधीक्षक, ब्यावर
5	श्री मोहन लाल खटनावलिया	अतिरिक्त जिला कलक्टर, ब्यावर
6	श्री राजेश कसाना	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यावर
7	श्री दिव्यांश सिंह	उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर
8	श्री कुलदीप सिंह शेखावत	उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
9	श्री कुलदीप सिंह शेखावत	उपखण्ड अधिकारी, बदनोर
10	श्री रवि प्रकाश	उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
11	श्री रवि प्रकाश	उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
12	श्रीमति नीतू मीणा	उपखण्ड अधिकारी, टॉडगढ़

प्रशासनिक ढांचा

- उपखण्ड :– 6
- तहसील :– 7
- पंचायत समिति :– 5
- कुल ग्राम पंचायत :– 187
- कुल राजस्व ग्राम :– 766
- विधानसभा क्षेत्र :– 6

  (ब्यावर **- 103 (ERO),** मसूदा **– 104 (ERO),** जैतारण **– 116 (ERO),** भीम **- 173 (Non- ERO),** सोजत **- 117 (Non-ERO),** आसीन्द **- 177 (Non-ERO),**

- संसदीय क्षेत्र :– 4

  (पाली – **15 (Non-ERO),** अजमेर – **13 (Non-ERO),** राजसमन्द – **22 (Non-ERO),** भिलवाड़ा – **23 (Non-ERO)**

जनांकिकी जिला–ब्यावर (वर्ष 2011 से)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	जवाजा	मसूदा	रायपुर	जैतारण	बदनोर	भीम	योग
1	कुल जनसंख्या	संख्या	351162	224181	205254	226776	89590	33720	1130683
2	पुरूष	संख्या	176959	114787	103005	114008	45500	17216	571475
3	महिला	संख्या	174203	109394	102249	112768	44090	16504	559208
4	दशकीय वृद्धि दर	प्रतिशत	18.38	18.6	12.77	9.95	23.08	19.55	17.05
5	घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	298	137	189.66	165	235	252	248.77
6	लिंगानुपात	(महिलाऐं प्रति हजार पुरूष)	986	953	993	989	969	980	978

प्रशासकीय संरचना
पंचायत समिति

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	जवाजा	मसूदा	रायपुर	जैतारण	बदनोर	भीम	योग
1	कुल भौगोलिक क्षेत्राफल	हैक्टर	68029	86646	108222	137620	39895	14566	456230
2	उप खण्ड	संख्या	2	1	1	1	1	0	6
3	तहसील	संख्या	2	2	1	1	1	0	7
4	उप तहसील	संख्या	0	0	1	1	0	1	2
5	भू अभिलेख निरीक्षक वृत	संख्या	17	9	9	9	4	2	50
6	पटवार मण्डल	संख्या	66	45	36	37	18	7	209
7	पंचायत समिति	संख्या	1	1	1	1	1	0	5
8	कुल ग्रामपंचायत	संख्या	46	40	40	38	20	7	191
9	कुल राजस्व गांव	संख्या	229	163	141	116	85	36	771
10	नगरपालिका	संख्या	0	1	0	1	0	0	2
11	नगरपरिषद्	संख्या	1	0	0	0	0	0	1

जिला ब्यावर
तहसील वार समंक

क्र.सं.	विवरण	ब्यावर तह.	टाडगड तह.	मसूदा तह.	बिजयनगर तह.	रायपूर तह.	जैतारण तह.	बदनोर तह.	भीम 7 पंचायत	विशेष विवरण एवं योग
	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	45494	22535	86646	1252	108222	137620	29367	14566	456230
1	उपखण्ड	1	1	1	0	1	1	1	0	6
2	उप तहसील	0	0	0	0	1	1	0	1	3
3	भूअभिलेख वृत	13	4	9	5	9	9	4	2	55
4	पटवार मण्डल	53	14	45	21	39	37	18	7	234
5	पंचायत समिति	1	0	1	0	1	1	1	0	5
6	कुल ग्राम पंचायत	38	8	40	0	38	40	20	7	191
7	ग्राम आबाद	180	48	160	0	137	111	86	36	758
8	ग्राम गैर आबाद	1	0	3	0	4	5	0	0	13
9	कुल राजस्व ग्राम	181	48	163	0	141	116	86	36	771
10	नगर पालिका	0	0	0	1	0	1	0	0	2
11	नगर परिषद	1	0	0	0	0	0	0	0	1
12	कुल ग्रामीण	153731	38052	185713	0	205254	204155	39895	14566	841366
13	कुल शहरी	151152	0	38468	32124	0	22621	0	0	244365
14	कुल जनसंख्या	304883	38052	224181	32124	205254	226776	39895	14566	1085731

FORMAT 01

DISTRICT ELECTION OFFICE - BEAWAR

FACTS AT A GLANCE

TOTAL VOTERS & HEALTH PARAMETERS

S.NO.	Assembly Constituency		Name of tehsil related to new district BEAWAR	Total Population (projected 01.10.2023)				Electors as per roll w.r.t. 27.10.2023 as the quallifying date published on 06.11.2023				EP Ratio			Gender Ratio
	No	Name		Male	Female	Total	Gender Ratio	Male	Female	TG	Total	Male	Female	Total	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	116	Jaitaran	Jaitaran	222445	217236	439680	977	103265	96035	3	199303	709	675	692	989
2	116	Jaitaran	Jaitaran Raipur					56236	52816	0	109052				
3	104	Masuda	Masuda	114787	109394	224181	953	47883	45641	0	93524	754	764	759	960
4	104	Masuda	Bijainagar					39191	38501	1	77693				
5	103	Beawar	Beawar	205767	199586	405353	966	115208	111828	3	227039	634.19	631.33	632.8	966
6	103	Beawar	Todgarh					15837	14847	0	30684				
7	173	BHIM	BEAWAR	18855	19113	37968	980	13247	13018	1	26266	697	672	685	978
8	103	Bhim	Badnor	0	0	0		1423	1376	0	2799				
9	177	AASIND	BADNOR	45500	44090	89590	969	25617	23954	0	50839	72.57	73.58	73.07	969
10	117	SOJAT	RAIPUR	103005	102249	205254	993	31190	30327	5	61522	303	297	300	972
		Total		710359	691668	1402026		449097	428343	13	878721				

Sr. no.	नाम	पदनाम	मोबाइल	लैंडलाइन नंबर	ईमेल
1	श्री महेंद्र खडगावत	जिला कलक्टर, ब्यावर	9413348855	01462 257336	beawarcollectorate@gmail.com dm.beawar@rajasthan.gov.in
2	श्री मोहनलाल खट्नावलिया	अति जिला कलक्टर, ब्यावर	9414252652	01462 299151	beawaradm@gmail.com
3	श्री श्यामसिंह	पुलिस अधीक्षक	9414205275	01462 258100	sp-bwr-rj@gov.in
4	श्री भूपेंद्र शर्मा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	8290165645	01462 256369	sp-bwr-rj@gov.in
5	श्री राजेश कसाना	पुलिस उपाधीक्षक	9414823415	01462 256369	cobeawar@gmail.com
6	श्री दिव्यांश सिंह	उपखंड अधिकारी ब्यावर / ACEM	7503995457	01462 299150	sdobeawar@gmail.com
7	श्री हनुत राम जी	तहसीलदार, ब्यावर	9782068509		tdrbeawar@gmail.com
8	श्री विकास कुमावत जी	आयुक्त, नगर परिषद	8854898914	01462 258333	npbeawar@gmail.com
9	डॉ संजय गहलोत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर	9772656856	01462 299161	cmhobeawar@gmail.com
10	श्री गोपाल लाल मीणा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ब्यावर	9928278824	1462299198	ceozpbwr@rajasthan.gov.in
11	श्री सादिक अली जी	जिला रसद अधिकारी, ब्यावर	9414450395	01462 258104	dsofood-bea-rj@gov.in
12	श्री योगेन्द्र सिंह	आबकारी निरीक्षक, ब्यावर	6350576314		excise.ci.beawar@gmail.com
13	श्री ललित	आबकारी निरीक्षक, जैतारण	9983463599		
14	श्री नितेश यादव	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्यावर	9414379475		cdpobeawar@gmail.com
15	श्री अजय गुप्ता	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक , ब्यावर	9983559369		deosec@gmail.com
16	श्री राजा राम टांक	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक , ब्यावर	9460243254		
17	श्री विशाल सोलंकी	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग. ब्यावर	9057585752	01462 299053	sjedbeawarraj@gmail.com
18	श्री डी के शर्मा	जिला उद्योग अधिकारी, ब्यावर	9928647327	0145 2970791	Dicajmer@rajasthan.gov.in
19	श्री गणेशा राम	संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्यावर	9210101902		dlo.doit.beawar@rajasthan.gov.in
20	श्री गिरीश नैन	उपनिदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्यावर	9694101867		dlo.doit.beawar@rajasthan.gov.in
21	श्री खुशाल सिंह	कोषाधिकारी, ब्यावर	9460071254	01462 257287	tobeawar-rj@nic.in
22	श्रीमती कुल्ज्योती पुनिया	जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर	9649590329		dto.beawar.tport@rajasthan.gov.in
23	श्री छगाराम	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ब्यावर	9799638797		
24	श्री मुकेश कुमार वर्मा	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	9887854070	01462 258104	iwobeawar@gmail.com
25	श्रीमती आदित्या	उप पंजीयक, ब्यावर	9887339937		srbeawar12@gmail.com
26	श्रीमती शिप्रा शानिवाल	प्रबंधक, RSRTC, ब्यावर	9549653180 9460629045		cmbwr.rsrtc@rajasthan.gov.in
27	श्री राहुल बेनीवाल	ARM, RIICO	8107555831		
28	श्री बनवारी लाल माथुर	मंडी अधिकारी, ब्यावर	8949516955		
29	श्री हीरालाल	उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, ब्यावर	9829560065		drbwr.coop@gmail.com
30	श्री एम के सिंघल	अधीक्षण अभियंता, AVVNL, ब्यावर	9414004087	01462 251 755	xenonmbwr2023@gmail.com
31	श्री अशोक तंवर	अधीक्षण अभियंता, PWD, ब्यावर	9252131153		eepwdbwr@gmail.com
32	श्री एस एस सलूजा	अधिशासी अभियंता, PWD, ब्यावर	9414258322		
33	श्री श्याम लाल जांगिड	अधीक्षण अभियंता, WATERSHED, ब्यावर	9414432994		
34	श्री अनिल अरोड़ा	अधीशाषी अभियंता, WATERSHED, ब्यावर	9414428310		
35	श्री सम्पत जीनगर	अधीक्षण अभियंता, PHED, ब्यावर	9414212310	01462–224399	sephedbeawar@gmail.com eephedbwr@gmail.com

36	श्री सुनील जूनवाल	अधिशासी अभियंता, PHED, ब्यावर			
37	श्री सुगनाराम जी जाट	जिला वन अधिकारी, अजमेर	9549933201		dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in
38	श्री अश्विनी पारीक	वन रेंजर, ब्यावर	9610444261		
39	श्री अर्जुन राम	वन रेंजर, ब्यावर	9772148437		
40	श्री आनंद बारहठ	वन रेंजर, जैतारण	7976184033		
41	श्री राजेंद्र खटाणा	वन रेंजर, सेंदड़ा	9738245921		
42	श्री मनीष सिंह ठाकुर	जिला अग्रणी प्रबंधक LDM	9929865425		
43	श्री एसएस चौहान	PMO, AKH ब्यावर	9929865425		cmhobeawar@gmail.com
44	श्री मुकेश माली	कृषि अधिकारी ब्यावर	9602628977		
45	श्री दिनेश जी	सहायक निदेशक, कृषि विभाग, ब्यावर	8112202627		
46	श्रीमती आरती यादव	उप निदेशक, बागवानी, ब्यावर	9460654618		
47	श्रीमती सपना जैन	सहायक निदेशक, बागवानी, ब्यावर	7877345678		
48	श्री अनिल जैथलिया	साख्यिकी अधिकारी ब्यावर	9829928706		bso.jawaja@gmail.com
49	सुश्री नंदिनी	AEN, जल संसाधन विभाग, ब्यावर	9660593749		wrb305901@gmail.com
50	श्री सतीश सोनी	जन संपर्क अधिकारी	9351064759		probeawar@gmail.com
51	श्री रामावतार गुप्ता	XEN, RVPN, Beawar	9413392980		
52	श्री मुकेश	Labour Office	9887854070		
53	श्री सुशीला हिनोनिया	AEN, PHED Beawar	9784668505		eephedbwr@gmail.com
54	श्री पवन कुमार वर्मा	ASO, Jawaja	9214669009		
55	श्री विजय जैन	Supt. Post Office Beawar	9414363839	01462 255553	dobeawar.rj@indiapost.gov.in
56	श्री शैलेश	Operations Head, Reliance JIO	9509593018		
57	श्री नीरज कुमार	HR Head, श्री सीमेंट, ब्यावर	9214337874		sclbeawar@shreecement.com
58	श्री भरत शर्मा	श्री सीमेंट, ब्यावर			sclbeawar@shreecement.com
59	श्री लोकेश बहेती	युनिट हेड, न्यूवोको सीमेंट जैतारण	9437093496		
60	श्री परीक्षित जी	लीगल हेड, न्यूवोको सीमेंट निम्बोल प्लांट	9413136121		
61	श्री जगदीश जी	mining engineer	9414576109		me.beawar@rajasthan.gov.in
62	श्री स्वरूप सिंह जी	Additional Mining Enginner	8441916388		me.beawar@rajasthan.gov.in
63	श्री एस एन मीणा	Principal, PM Shree Kendriya Vidhyalay, Beawar	9413695177		kvbeawar1993@gmail.com
64	श्री प्रवीण वर्मा	Sterlite Project, Deputy Director	9560498861		praveen.verma@sterlite.com
65	डॉ गौतम गायकवाड	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	9829678965		fgvhbeawar@gmail.com
66	श्री मधुसूदन जोशी	रोजगार विभाग अजमेर	9887394465		
67	श्री मेहराज अहमद	CTO सर्किल अ	9784638883		ac-beawar-a@rajasthan.gov.in
68	श्रीमती कविता	CTO सर्किल B	9252523449		ac-beawar-a@rajasthan.gov.in
69	श्री पारस	उप निदेशक, चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय	9461252296		cmmodiayurvedbwr@gmail.com
70	श्री हनुमान मीना	निदेशक (सिटींग इन अजमेर)	9799263261		
71	श्री दिनेश चौधरी	जिला खेल अधिकारी, ब्यावर	9414252542		
72	श्री कुलभूषण उपाध्याय	स्ट्रिंगर, DD News Beawar	9024888633		
73	श्री VD दूबे	XEN, AVVNL BEAWAR	9413391610		
74	श्री B.R. पालीवाल	XEN, AVVNL Jitaran	9829473089		
75	श्री योगेश खत्री	सहायक निदेशक , पर्यटन अजमेर	9784901670		
76	श्रीमती नीरू सांखला	DD, ICDS Beawar	9664470556		

Place	Name	Mobile
SDM		
Beawar	Divyansh Singh(IAS)	7503995457
Todgarh	Divyansh Singh(IAS)	7503995457
Masuda	Kuldeep Singh Shekhawat	9782097650
Jaitaran	Ravi Prakash Lakhera	9509437955
Raipur	Gulab Singh Varma	9587003499
Badnor	Kuldeep Singh Shekhawat	9782097650

Tehsildars		
Beawar	Hanut Singh Rawat	9214025896
Raipur	Pushpendra Panchal	9555016947
Jaitaran	Ravindra Singh Chauhan	9649399489
Badnor	Dewalal Singh	7734970549
Masuda	Shilpa Chaudhary	9413885647
Bijaynagar	Ram Kishor	9079684150
Todgarh	Suresh garg	7300238561

Nayab Tehsildars		
Beawar	Rajendra Rana	9414668976
Baar	Suresh garg	7300238561
Raipur	Santosh Loogariya	9414363676
Sendra (Raipur)	Ramesh Verma	9785067336
Jaitaran	Dilip Patel	9351161529
Anandpur Kalu	Prahlad Ram	9413958592
Badnor		
Masuda	Ram Prasad Chaudhary	9414695490
Bijaynagar		
Todgarh	Mahadev Prasad	9828104138

Executive Officers (EO)		
Beawar	Divyansh Singh(IAS) (Add. Ch.)	7503995457
Bijaynagar	Pratap Singh	9828645100
Jaitaran	Dilip Patel (Add. Ch.)	9351161529
Masuda	Akshay Rajpurohit	9571199691

Block Development Officers		
Masuda	Mr. Sandesh Parashar ji	98876275054
Jawaja	Mr. Balram Meena	9414296443

Badnor	Mr. Rajendra Singh Charan (Add. Ch. Aasind)	9461683499
Jaitaran	Atul Solanki	9950221020
Raipur	Mr Bhanwar Lal snghariya	9461023936

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर(सहायता),ब्यावर

क्रमांकः /सहायता/बाढ़/2025/400 दिनांक :– 10/06/25

–:आदेश:–

आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 8(1)आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/2022/राजकाज/15321258 दिनांक 15.05.2025 से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में सम्भावित बाढ़/अतिवृष्टि की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष (EOC) की स्थापना तुरंत प्रभाव से की जाती हैं,उक्त नियंत्रण कक्ष दिनांक 15 जून 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक संचालित रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष(EOC) के दूरभाष नंबर 01462299314 रहेगा। नियंत्रण कक्ष में लगे अधिकारी/कर्मचारी आपदा प्रबंधन एवं बाढ से संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाऐं समय–समय पर त्वरित आदान–प्रदान करेंगें। जिलें के प्रत्येक वर्षा मापी केन्द्रो से सूचना(प्रातः व सांयः) प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना नियमित रूप से जरिये ई–मेल राज्य सरकार एवं जिला/उपखण्ड के प्रभावी विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी

विवरण	अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नंबर
पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री मोहनलाल खटनवालिया	अतिरिक्त जिला कलक्टर,ब्यावर	9414252652
प्रभारी अधिकारी	डॉ0 गोपाल लाल मीणा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्यावर	9928278824
सहायक प्रभारी	श्री हनुत सिंह रावत	तहसीलदार ब्यावर	9214025896

जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष(EOC) के लिए निम्नानुसार कार्मिको के दल का गठन किया जाता है:–

क्र.स.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद व पदस्थापन स्थान	विभाग	मोबाईल नंबर
		प्रथम पारी प्रातः 6.00 बजे से 2 बजे तक		
01.	श्री अश्विन कुमार	अति.प्रशा.अधिकारी राउमावि ब्यावर खास	शिक्षा विभाग	9413640818
02.	श्री रामअवतार चौधरी	वरिष्ठ सहायक पीएम श्री राबाउमावि छावनी रोड़ ब्यावर	शिक्षा विभाग	9549140825
03.	श्री सुरजप्रकाश मीणा	कनिष्ठ सहायक राबाउमावि डिग्गी मौहल्ला ब्यावर	शिक्षा विभाग	7073728232
		द्वितीय पारी दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
01.	श्री मनमोहन गुगरवाल	सहा.प्रशा.अधिकारी राउमावि जवाजा	शिक्षा विभाग	9314009543
02.	श्री रविन्द्र कुमार जगरत	वरिष्ठ सहायक राबाउमावि राजियावास	शिक्षा विभाग	8094207128
03.	श्री गौतम रावल	कनिष्ठ सहायक शहीद जान मोहम्मद राउमावि रूपनगर	शिक्षा विभाग	9660727575
		तृतीय पारी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक		
01.	श्री सुरेश कुमार पमनानी	सहा.प्रशा.अधिकारी राउमावि काबरा	शिक्षा विभाग	9887917114
02.	श्री भारतेन्दू कुमार वर्मा	वरिष्ठ सहायक राउमावि तारागढ़	शिक्षा विभाग	9602704554
03.	श्री साबीर काठात	कनिष्ठ सहायक राउमावि गाफा	शिक्षा विभाग	9358803025
		आरक्षित दल		
01.	श्री सुनील कुमार चौहान	कनिष्ठ सहायक राउमावि बंजारी	शिक्षा विभाग	9829639731

02.	श्री कैलाश राकेचा	वरिष्ठ सहायक राउमावि भरकाला	शिक्षा विभाग	941316509

01. जिले में डीक्यूआरटी में तैनात नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी के दौरान कन्ट्रोल रूम पर उपस्थित रहेंगें।
02. वर्षा की सूचना एवं सिंचाई विभाग की सूचना एकत्रित की जाकर प्रभारी अधिकारी बाढ नियंत्रण कक्ष द्वारा जिला कलक्टर महोदय/अति0 जिला कलक्टर,ब्यावर को प्रतिदिन प्रातः 9.30 पर प्रस्तुत करेंगें।
03. जिला आपदा प्रबंधन बाढ नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपदा सबंधित सूचनाऐं जो तहसील स्तर पर स्थापित ई0ओ0सी0 सेंटर ,अन्य विभागों एवं अन्यत्र से प्राप्त होगी,उनका तत्काल संप्रेषण का कार्य करेंगें तथा रजिस्टर पंजिका का संधारण कर उसमें प्राप्त सूचना का इन्द्राज एवं किये गये समाधान का स्पष्ट इन्द्राज करेंगें तथा पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।
04. प्रथम पारी का साप्ताहिक अवकाश रविवार,द्वितीय पारी का सोमवार ,तृतीय पारी का मंगलवार तथा आरक्षित दल का बुधवार रहेगा। ड्यूटी पर तैनात कार्मिको देय साप्ताहिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश(विशेष परिस्थिति मे) के दिनो में आरक्षित पारी वाले कार्मिक ई0ओ0सी0 में ड्यूटी करेंगें तथा शेष अवधि में आरक्षित दल की ड्यूटी प्रातः 9.30 बजे से 6.00 बजे तक ई0ओ0सी0 में रहेगी तथा वे अपनी उपस्थिति भी यही दर्ज करेंगें।
05. नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिक आगामी दल के उपस्थित होने पर ही प्रस्थान करेंगें।
06. पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त कर्मचारियो को किसी प्रकार का स्वीकृत नही होगा।

(मोहनलाल खटनावलिया)
अति0 जिला कलक्टर, ब्यावर

क्रमांकः /सहायता/बाढ़/2025/ 401 – 421 दिनांक :– 10/06/25
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
01. श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
02. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
03. जिला पुलिस अधीक्षक, ब्यावर
04. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ब्यावर
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्यावर
06. आयुक्त नगर परिषद ब्यावर
07. जिला रसद अधिकारी ब्यावर
08. उपखण्ड अधिकारी(समस्त) जिला ब्यावर
09. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ब्यावर
10. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत ब्यावर
11. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ब्यावर
12. अधीक्षण अभियन्ता, अविविएनएल ब्यावर
13. उपनिदेशक पशुपालन विभाग ब्यावर
14. उप निदेशक कृषि विभाग ब्यावर
15. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्यावर को भेजकर लेख है कि आप बाढ नियंत्रण कक्ष मे लगे कार्मिको को कार्यमुक्त कर तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करावें।
16. तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति ....(समस्त)
17. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी ब्यावर
18. जिला परिवहन अधिकारी ब्यावर
19. निजी सहायक जिला कलक्टर/अपर कलक्टर ब्यावर
20. श्री ....
21. रक्षित पत्रावली

अति0 जिला कलक्टर
ब्यावर

Document certified by MOHAN LAL KHATNAWALIA <CAPLBWR062@GMAIL.COM>
Digitally Signed by MOHAN LAL KHATNAWALIA
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :10-06-2025 05:40:30

RajKaj Ref No.: 15804928

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	**प्रस्तावना**	**04**
1.1	विकास और आपदा	**04**
1.2	बहु–आपदा अनुक्रिया योजना	**04**
1.3	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य	**04**
1.4	नीति गत कथन	**05**
अध्याय – 2	**जिले की रूपरेखा**	**06**
2.1	भौगोलिक स्थिति	**06**
2.2	प्रशासनिक संरचना	**06**
2.3	भौतिक स्वरूप	06
2.4	आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति	06–08
2.5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	09
अध्याय – 3	**जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन**	**10**
3.1	संभावित विपदाओं की पहचान	**10**
3.2	संवेदनशीलता	**11**
3.3	खतरा	**11–12**
अध्याय – 4	**आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना**	**15–19**
अध्याय – 5	**जिले में संभावित आपदाएं एवं कार्य योजनाएं**	**20**
5.1	सूखा	**20–24**
5.2	बाढ़	**25–29**
5.3	दुर्घटना	**30–34**
5.4	भूकम्प	**37–38**
5.5	आग	**39–45**
5.6	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	**46**
5.7	ताप (लू) व शीतघात	**47–49**
58	परिशिष्ठ 1–22 सूची(पेज तीन पर)	**50–97**

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट नं. 1	महत्वपूर्ण दूरभाष न. की सूची
परिशिष्ट नं. 2.	अस्पतालों और उनमें स्थिति उपकरणों की सूची
परिशिष्ट नं. 3.	निजी चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सूची
परिशिष्ट नं. 4.	चल चिकित्सालयों की सूची
परिशिष्ट नं. 5.	मेडिकल स्टोर्स की सूची
परिशिष्ट नं. 6.	एम्बूलेंसो की सूची
परिशिष्ट नं. 7.	विश्राम गृहों की सूची
परिशिष्ट नं. 8.	आश्रय स्थलों की सूची
परिशिष्ट नं. 9.	टेंकों की सूची
परिशिष्ट नं. 10.	तैराको की सूची
परिशिष्ट नं. 11.	ट्रांसपोर्टस की सूची
परिशिष्ट नं. 12.	जवाई बांध पर उपलब्ध संसाधनों की सूची
परिशिष्ट नं. 13.	पेट्रोल पम्पों की सूची
परिशिष्ट नं. 14.	गैस एजेन्सियों की सूची
परिशिष्ट नं. 15.	चल चित्र गृह की सूची
परिशिष्ट नं. 16.	रेल्वे स्टेशन की सूची
परिशिष्ट नं. 17.	स्वयं सेवी संस्थाओं
परिशिष्ट नं. 18.	पावर स्टेशनों की सूची
परिशिष्ट नं. 19.	उद्योगों की सूची
परिशिष्ट नं. 20.	पुलिस विभाग में उपलब्ध वायरलेसों, वाहनों एवं कर्मचारियों की सूची
परिशिष्ट नं. 21.	टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची
परिशिष्ट नं. 22.	राहत सामग्री

अध्याय–1
प्रस्तावना

1.1 विकास और आपदा

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियत्रण में नहीं है वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।
भारत देश भी बाढ़, भूकम्प सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है।

1.2 बहु–आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 50 वर्षो (1950–2010) में मात्र सात वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 42 वर्षो में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य मे भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 ,1999–2000 व 2001 से 2010 पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ,2011–12 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले एंव 2066 में राज्य के 33 मे से 26 जिले व 2067 में पाली जिले के 1050 ग्राम सूखे से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।
जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :–

(1) जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।

(2) जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।

(3) आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

(4) जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

(5) आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रकिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।

(6) राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

(ड) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

अध्याय–3

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने मे कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक सवेंदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

3.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- **जलवायु सम्बन्धित** – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** – रसायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरो की महामारी इत्यादि।

ब्यावर जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला में जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले में संभावित 7 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पाँच विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी। पाँच मुख्य विपदाएं निम्न हैं

जिले में विशिष्ट सम्भावित आपदाएं

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटना
4. आग
5. भूकम्प

वरन् अन्य 2 विपदाएं रसायनिक एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात हैं।

3.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

लोग + स्थिति + स्थान + समय + घटना

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।
घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।
(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर
(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर
(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ
(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर
जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है।

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर
जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

(ग) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ
इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ
हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/से. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

(2) आर्थिक, सामाजिक संवदेनशीलता

हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

3.3 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवदेनशीलता पर निर्भर करता है।

खतरा = विपदा + संवदेनशीलता

सुनामी लहर/आपदाः–

देश में वर्ष 2004 में दिनांक 26.12.2004 को सुनामी लहरें एवं आपदा घटित हुई जिसमें जनमाल की काफी हानि हुई। इस आपदा से रोजगार की क्षति एवं आर्थिक क्षति बहुत हुई है। इस आपदा से कई लोग बेघरबार एवं लापता रहे। एंव वर्ष 2011 में देश से बाहर जापान में सूनामी लहरो से भारी तबाही एंव जानमाल की हानि हुई है।

अध्याय–4

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा सहायक जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें।

कार्यालय जिला कलक्टर(सहायता) ,ब्यावर

क्रमांक/कब्या/सहायता/आ.प्रा./2025/ दिनांक

:–आदेश:–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 एवं राजस्थान आपदा प्रबंधन नियम 2009 के नियम 10 के अनुसरण में जिला ब्यावर हेतु निम्नानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है:–

01. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,ब्यावर – अध्यक्ष
02. जिला पुलिस अधीक्षक,ब्यावर – सदस्य
03. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,ब्यावर – सदस्य
04. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद ,ब्यावर – सदस्य
05. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग,ब्यावर – सदस्य
06. अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग,ब्यावर – सदस्य

स्थाई आमंत्रित सदस्य:–

01. लोकसभा सदस्य राजसमंद
02. लोकसभा सदस्य अजमेर
03. लोकसभा सदस्य भीलवाड़ा
04. विधानसभा सदस्य ब्यावर/मसूदा/जैतारण/सोजत/भीम
05. अधीक्षण अभियंता जन स्वा0 अभि0 विभाग ,ब्यावर
06. संयुक्त निदेशक ,पशुपालन विभाग,ब्यावर

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत)
जिला कलक्टर,ब्यावर

क्रमांक/सम/2025/ दिनांक

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. लोकसभा सदस्य पाली/राजसमंद/भीलवाड़ा
02. विधानसभा सदस्य ब्यावर/मसूदा/जैतारण/सोजत/भीम
03. जिला पुलिस अधीक्षक,ब्यावर
04. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट,ब्यावर
05. अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,ब्यावर
06. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग,ब्यावर/ जल संसाधन विभाग,ब्यावर/ जन स्वा0 अभि0 विभाग ,ब्यावर
07. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला ब्यावर

08. संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग,ब्यावर

09. जिला शिक्षा अधिकारी,ब्यावर

10. तहसीलदार समस्त जिला ब्यावर

11. विकास अधिकारी समस्त जिला ब्यावर

12. आदेश पत्रावली

जिला कलक्टर,ब्यावर

स्थायी व्यवस्था

- जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन समिति (DDMC) का गठन किया गया। गठित समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1.	जिला कलेक्टर	**अध्यक्ष**
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.	**सदस्य सचिव**
4.	अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता ज. स्वा. अभि. विभाग	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता सिंचाई	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता सा. नि. वि.	सदस्य
8.	अधिक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वि. निगम	सदस्य
9.	उप निदेशक कृषि विस्तार	सदस्य
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
11	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
12	जिला पशु पालन अधिकारी	सदस्य

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगा तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव सहायता को भेजेगा।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।
- नियंत्रण कक्ष में कुल 11 व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (तीन व्यक्ति हर पारी में 02 रिजर्व)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नं. आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। अगर हो सके तो तीन अंकों (103) का नम्बर दिया जा सकता है ताकि आम व्यक्ति सूचना आसानी से दे सके।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), ब्यावर

क्रमांकः– बाढ/अतिवृष्टि/सहा./2025/ दिनांकः–

बैठक कार्यवाही विवरण

मानसून, सत्र 2025 में बाढ़–बचाव की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 02.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे श्रीमान् जिला कलक्टर, ब्यावर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, ब्यावर में बाढ़/अतिवृष्टि आपदा से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना एवं क्षति से आमजन की सुरक्षा के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। जिले में जलभराव/बाढ की संभावना को देखते हुए जन–धन के सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है। अतः जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारी गण निम्नलिखित कार्यवाहियाँ करना सुनिश्चित करेगें :–

1. जल संसाधन विभाग :–

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ब्यावर को निर्देशित किया गया कि 15 जून, 2025 से बाढ नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जावें तथा बाढ या अतिवृष्टि की संभावना में प्रत्येक तहसील के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों का सामना करने के लिये कार्य योजना बनायी जावें। विभाग में उपलब्ध वायरलेस सेटों को कार्यशील रखे तथा मडपम्प, नावें, रक्षा पेटियों, रस्सों, मशालों, टॉर्चो एवं उपलब्ध बचाव उपकरणों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। जिले की प्रत्येक तहसील में बाढ बचाव के उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर सूची मय नाम, पते सहित तैयार रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग तत्काल किया जा सकें तथा गैर सरकारी संगठनों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन/सामग्री का सुनिश्चितीकरण कर आपदा की स्थिति में उनका उपयोग करने की व्यवस्था करेगें।

वर्षा काल में नदियों, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरन्तर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय में अग्रिम चेतावनी देने का कार्य सुनिश्चित करेगें तथा वर्षा आने पर किसी बांध में दरार आने व टूटने की संभावना है तो उसे समय से पूर्व ठीक कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बांध के गेट खोलने वाले तथा तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की सूची बना कर अपने कार्यस्थल पर तैनात रहने हेतु पाबन्द किया जावें और नावें, रस्सें तथा अन्य उपकरण आदि की बाढ संभावित केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावें। संभावित संकट की सूचना तत्काल जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय आपदा नियन्त्रण कक्ष व सभी सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें व मुख्यालयों पर हर समय जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

जिले में स्थित समस्त छोटे बड़े बांध, तालाब, एनिकट का सर्वेक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी बांध, तालाब, एनीकट सही हालात में है, यदि इनमें से किसी जलाशय की मरम्मत कराने की आवश्यकता हो तो यथा समय मरम्मत करवा दी जावे ताकि वर्षा के पानी के भराव के दौरान कोई समस्या उत्पन्न न होने पाये, साथ ही समस्त बांधों, तालाबों, एनिकटों की भराव क्षमता एवं उनके केचमेन्ट एरिया, उनके लाईन्ड एरिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी कर ली जावें, यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है अथवा कोई बांध टूटता है या नदी में पानी अधिक आता है तो ऐसी स्थिति में कौन–कौन से गाँव प्रभावित हो सकते है, उन गाँवों के नाम, उनकी जनसंख्या चिन्हित कर ली जावें एवं उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने हेतु राहत स्थल का निरीक्षण किया जावें, जिले में विभिन्न बांधों में आया पानी एवं भराव क्षमता से प्रतिदिन बांढ नियंत्रण कक्ष को लिखित में अवगत कराते रहें।

बाँध/तालाब आदि के टूट–फूट या रिसाव की स्थिति में बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में कटें रेत भरवा कर उन्हे आवश्यकतानुसार बाँधों पर पहुँचा दिया जावें। इसके अलावा खाली कट्टों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था व रेत भरने के स्थान को पहले से ही चिन्हित कर लिया जावें। इन कट्टों को यथा स्थान पहुंचाने के लिए वाहन हर समय कार्यालय में मय वाहन चालक के उपलब्ध रखा जावें। बाढ़ के समय आवश्यक उपकरण, जैसे रस्से, बल्लियां, टॉर्च, पेट्रोमेक्स, पम्पसेट, रबर ट्यूब, नावें तथा गोताखोर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावें। उपलब्ध पम्पसेट सही हालत में हो और ईंधन भरपूर रहे। मोटर बोट कहां–कहां से उपलब्ध हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी कर ली जावें। सिंचाई विभाग जिले में सभी बड़े बांधों को समय–समय पर पेट्रोलिंग करवा कर सूचना देते रहेंगे। तहसीलदार भी पटवारियों से उक्त बांधों की चौकसी करवाएंगे। जिले के अच्छे तैराक, गौताखोरों की सूची बनाई जावें और जिला तैराक संघ से भी इनमें सहयोग लिया जावे ताकि आवश्यकता होने पर उनकी सेवा ली जा सके।

2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :–

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, ब्यावर को निर्देश दिये गये कि दिनांक 15 जून, 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावें। निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्पसेटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें तथा जहां ज्यादा बाढ आने की संभावना है, वहां ज्यादा पम्पसेटों की व्यवस्था रखी जावें। पेयजल स्त्रोंतो के क्लोरीफिकेशन की समुचित व्यवस्था की जावें ताकि दूषित पेयजल जनित बीमारियाँ फैलने की संभावना न हों। पाइप लाईन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल ठीक करेंगे तथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखेंगे। विद्युत कटौती की अवस्था में पेयजल वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल की जावें। पेयजल स्त्रोतों कुंए,हैंडपंप,टंकियो की साफ–सफाई एवं सफाई दिनांक का अंकन किया जावें।

3. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (रसद) विभाग :–

बाढ़ के समय आम जनता को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। उचित मूल्य की दूकानों पर गेहूं, केरोसीन, अन्य खाद्य सामग्री के भण्डारण, उसके वितरण की व्यवस्था व वितरण के स्थान का उल्लेख आदि सूचनाओं की पारदर्शिता के साथ–साथ उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। बाढ़ की स्थिति में स्वयंसेवी संगठनों से भी सम्पर्क बनाये रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहयोग लिया जा सके। फूडस्टेम्प योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाया जावें। जिले में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लूबीकेटिंग ऑयल, गेहूँ आदि का रिजर्व स्टॉक रखवाया जावें। जिले के बडे खादय व्यापारियों, हलवाई, टेन्ट संचालक, पैट्रोलपम्प, गैस गोदाम एवं अन्य भामाशाह की सूची मय मोबाईल नम्बर तैयार रखीं जावें। आपात स्थिति में खाघान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु परिवहन सुविधा की योजना बनाई जावें।

4. नगर परिषद / नगरपालिका :–

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद / नगरपालिका को निर्देश दिये गये कि दिनांक 15 जून, 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावें तथा निर्देशानुसार निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें :–

1. शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्थित समस्त नालों–नालियों में से मानसून से पूर्व / दौरान मलबा व कीचड़ की सफाई करने के पश्चात् तुरन्त उनको ढकने की कार्यवाही की जावे। नाले / नालियों का सफाई कार्य तथा उन्हें सुरक्षित रूप से ढकने की व्यवस्था दिनांक 15 जून, 2025 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। सीवरेज मेन हॉल एवं नालियों पर कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर चेतावनी के बोर्ड लगवाये जावे। सीवरेज लाईन के मैनहॉल्स की सफाई करने के पश्चात् मैनहॉल्स को तुरन्त ढकने हेतु कार्यवाही की जावे। सड़क पर बने हुए नाला–नालियों के क्रासिंग व खुले स्थानों को फेरोकवर से तुरन्त ढका जावे। यह भी सुनिश्चित करें कि अतिक्रमण के कारण नाले / नालियों का प्रवाह अवरूद्ध नहीं हो। यदि बरसाती नाले / नालियों व पानी के बहाव में कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो गरीब परिवारों व प्रभावित आबादी को वैकल्पिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाते हुये अतिक्रमणों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जावें। शहरी / ग्रामीण जल निकासी तंत्र की क्षमता की जांच व मरम्मत की जावें।

2. नगर पालिका क्षेत्र में निर्मित नालियों व नालों की सफाई का ध्यान रखा जावे, ताकि वर्षा के मौसम में पानी का बहाव सुचारू रहें तथा किसी प्रकार पानी की रूकावट (**Water Logging**) ना हो सके। पानी की रूकावट के कारण बाढ़ की स्थिति ना बनें, इस हेतु पहले से ही पानी की निकासी की पहचान कर बरसात का पानी निकलने की व्यवस्था अभी से ही कर ली जावें।

3. रोड कट्स / टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य 15 जून, 2025 से पूर्व करवा लिया जावे। 15 जून से 30 सितम्बर, 2025 की अवधि में रोड़ कट की अनुमति नहीं दी जावे। विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से निर्णय उपरान्त ही अनुमत किया जावे एवं 24 घंटे में मरम्मत सुनिश्चित की जावे। बरसात के कारण या पानी के बहाव के कारण नालियों व सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उनकी तुरन्त मरम्मत करवाई जावें।

4. सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा मानसून से पूर्व नालों तथा पानी भरने के संभावित स्थानों का निरीक्षण किया जावे।

5. बाढ़ से बचाव व किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस थानों पर आवश्यकतानुसार सामग्री यथा – रेत / मिट्टी के भरे हुये व खाली कट्टे, रोडी, बजरी, खान का मलबा, त्रिपाल, बांस. बल्ली. ट्रेक्टर–ट्रॉली, डम्पर, जे.सी.बी., मड पम्प / वाटर पम्प, गैस कटर, पिकअप / जीप पी.वी.सी. पाईप्स, नाव, नाविक, तैराक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, ट्यूब, नाइलोन रस्से, टॉर्च, इमरजेंसी लाईट, सब्बल, फावडे, परात, गेंती आदि एवं बाढ़ बचाव दल की व्यवस्था की जावे।

6. बरसात के दिनों में इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार वाटर पम्पों व पाईप्स की व्यवस्था की जावे।

7. बरसात के बाद शहर के सार्वजनिक स्थलों, निचले इलाकों (**Low Lying Area**) व नालों में इकट्ठे / जमा कचरे / मलबे, कीचड़ / गंदगी व भरे हुये पानी को अविलम्ब हटाया जावे।

8. विद्युत डिस्कॉम कम्पनियों के अभियन्ताओं के साथ मिलकर सड़क किनारे बिजली के ढीले तारों को दुरूस्त करने एवं बिजली के खम्बों, सड़क किनारे डी.पी., केबल बॉक्स व स्वीच बॉक्स के आस–पास लूज तारों को हटाया जावे। स्वीच बॉक्स के टूटे हुये दक्कनों को तुरन्त मरम्मत करवाई जावे। असुरक्षित / जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाकर भवनों मालिकों को नोटिस / सार्वजनिक सूचना जारी करते हुये उनको खाली कराने की कार्यवाही की जावे। मकानों के वासियों को चेतावनी देते हुये उनके सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जावे, ताकि जन–धन की हानि नहीं हो।

9. नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित पुराने अनुपयोगी खुले कुओं को लोहे की जाली / फेंसिंग आदि से ढ़का जावे। ऐसे अनुपयोगी कुओं को वर्षा जल के पुनर्भरण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम में लिया जा सकता है।

10. सड़कों के किनारे स्थित बड़े गड्ढों को मिट्टी से भराया जावे तथा सड़क के किनारे कटाव को रोकने के लिये मिट्टी के कट्टे लगाये जावे ।

11. बरसात के पानी के भराव स्थलों के आस–पास सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिये वहाँ चेतावनी बोर्ड लगाये जावें। बाढ/अतिवृष्टि के एकत्रित पानी को निकालने के लिये पम्पसेटों का प्रबन्ध करना, मृत पशुओं, मलवा, कचरा आदि को हटाने के लिये नगर पालिका, ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित करते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में फोगिंग करवाया जावें। कटे हुए फलो एवं सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबंध आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर 15 जून, 2025 से जिला मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे। वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में मौसमी बीमारियों जैसे– मलेरिया, डेंगू, पीलिया का प्रकोप की संभावना से निपटने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें :–

चिकित्सा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :–

- जिला/खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ करते हुये प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाकर दैनिक/त्वरित सूचना जिला, राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जावे।
- रेपिड रेस्पोन्स टीम/मोबाईल टीम आवश्यक औषधियों सहित तैयार रखी जावे। जलजनित रोगो जैसे हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बीमारियो, आई–फ्लू, फूड पॉयजनिंग आदि के इलाज हेतु आवश्यकता पड़ने पर गठित टीम को प्रभावित क्षेत्र मे तुरन्त प्रस्थान करने हेतु रोगी वाहन, मयवाहन चालक के तैयार रखी जावे।

जल शुद्धिकरण :–

- बाढ एवं अतिवृष्टि के कारण पेयजल दूषित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जलशुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर/क्लोरीन का भण्डारण पर्याप्त मात्रा मे रखा जावे।
- जलदाय विभाग (पीएचईडी) के सहयोग से सघन अभियान चला कर पानी की जांच हेतु नियमित नमूनीकरण एवं जलशुद्धिकरण की कार्यवाही की जावे।
- सार्वजनिक स्थानों/राजकीय संस्थानो मे पेयजल आपूर्ति किये जाने वाले जल स्त्रोतों का नियमित जल शुद्धिकरण करवाया जावे।
- पेयजल आपूर्ति की जाने वाली पाईप लाईनो की जांच की जाकर लीकेज तुरन्त ठीक करवाने की कार्यवाही जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो के समन्वय से करवाई जावे।
- पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनो मे असंतोषप्रद पाये गये पेयजल स्त्रोतों का सुपर–क्लोरिनेशन कराते हुये, शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय एवं जलदाय विभाग के सहयोग से की जावें।

औषधियो की उपलब्धता :–

- सभी चिकित्सा संस्थानो मे जीवन रक्षक औषधियॉं, ए.आर.वी, वैक्सीन, एन्टी–स्नेक वीनम, चर्मरोग के लिये बैन्जाईल बेन्जोएट, आई ड्रोप/ऑइन्टमेन्ट, ओ.आर.एस, आईवी फ्ल्यूड्स, ड्रीपसेट आदि की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
- स्थानीय चिकित्सालयों मे रोगियों के उपचार हेतु वार्ड मे सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था की जावें।
- एन्टीलार्वल यथा टेमीफोस, एमएलओ आदि एंव फोकल स्प्रे हेतु पायरेथ्रम की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये नगर निगम/नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं से समन्वय बनाकर नालियों की सफाई कराने, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं गड्ढों में गन्दा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाये जाने की व्यवस्था कराई जावें।

प्रचार प्रसार एवं स्वास्थ्य शिक्षा :–

- जन साधारण को किसी भी बीमारियों से बचने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान आवश्यक है। इसलिये बाढ, अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान जन साधारण को इनसे होने वाली बीमारियो की जानकारी, बचाव एवं उपचार के संबंध मे प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी जावे।
- सूचना एवं संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियो के नाम, पते एवं टेलीफोन नम्बर आदि की सूचना जिला नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करावें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सकें।

अन्य सामान्य निर्देश एवं समन्वय :

- अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुये सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरा मैडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जावें ।
- आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधायें सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने हेतु जिला – प्रशासन (जिला कलेक्टर) से तुरन्त सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- सभी उपखण्ड एवं सभी प्रभारी अधिकारी चिकित्सा संस्थानो को निर्देशित किया जावे कि वे बाढ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से पूर्णतया सतर्क रहे तथा इस दौरान वे अपने–अपने क्षेत्र के प्रशासनिक एवं जन प्रतिनिधियो से

निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखें। उपरोक्त निर्देशो की पालना कडाई से की जाये एवं चिकित्सालयों आदि में साफ–सफाई संभावित दुर्घटना/आपदा की स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावें।

6. पुलिस विभाग :–

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वर्षाकाल में 15 जून, 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावें। होमगार्ड एवं आर0ए0सी0 की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियां तैयार रखी जावें। समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि बाढ/अतिवृष्टि की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं आम जनता से संबंधित किसी भी तरह की सूचना किसी भी विभाग द्वारा दी जावे, तो उस संदेश को तत्काल प्राप्त कर उसका प्रसारण किया जावें। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य तत्काल किया जावें एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस विभाग के जवानों द्वारा की जावें। बाढ/अतिवृष्टि की स्थिति में यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था आदि की पालना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाने हेतु निर्देश जारी करावें। आपदा के समय यातायात को सुव्यवस्थित करने हेतु ट्रैफिक प्लान बनाया जावें। संवेदनशील क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में पुलिस की गश्त की जावें।

7. विद्युत विभाग :–

अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0, ब्यावर को निर्देशित किया गया कि अपने कार्यालय में दिनांक 15 जून, 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावें। वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के समय विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने से जन जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। अतः क्षतिग्रस्त पावर लाईनों से तुरन्त विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने एवं मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री वाहन एवं विद्युत उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जावें, जहां कहीं विद्युत लाईने पेड़ों के नजदीक है, उनकी जांच करवा कर सफाई व्यवस्था करवा ली जावें। भीषण गर्मी के कारण विद्युत लाईनों के तार लूज होकर उनकी निर्धारित दूरी कम होती है तथा तेज हवा के कारण आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाती है. जिससे अग्नि दुर्घटना गठित हो सकती है, इसके लिए विद्युत लाईनों का सर्वे करवाकर दुरस्तीकरण का कार्य समय पर करवा लिया जावे। ढीले तारों को कसा जाए व कनेक्शनों को टाईट किया जावें। यदि कहीं पर ट्रांसफार्मर जमीन पर पडें है, तो उन्हे डी०पी० पर रखवाये जावें। जलभराव वाले क्षेत्रों मे सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल विघुत बंद करने की कार्यप्रणाली तैयार की जावें।

8. पशुपालन विभाग :–

उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, ब्यावर को निर्देशित किया गया कि अपने कार्यालय में दिनांक 15 जून, 2025 से नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जावे। बाढ/अतिवृष्टि के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के ईलाज के लिये पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। जिला पशुपालन अधिकारी जिले के समस्त पशु चिकित्सालयों पर आवश्यक वैक्सीन एवं औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बाढ/अतिवृष्टि के कारण पशुओं में फैलने वाली समस्त प्रकार की बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल टीमों का गठन किया जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायेंगे। मोबाइल टीमें जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर उक्त सुविधा के साथ उपलब्ध रखी जावें। बाढ प्रभावित क्षेत्रों मे चारें, पशु आहार की व्यवस्था हेतु चारा आदि के सप्लाई हेतु चिन्हित क्षैत्रों की सूची तैयार कर रखी जावें। मृतक पशुओं के सुरक्षित निस्तारण करने का स्थान भी सुनिश्चित करें। आपातकालीन सेवा हेतु वाहनों द्वारा टीकाकरण कार्य यथा समय करवाया जावें।

9.सार्वजनिक निर्माण विभाग :–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ब्यावर अपने कार्यालय में दिनांक 15 जून, 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित करेंगे। जिले में सार्वजनिक भवनों, जीर्ण–शीर्ण हालत के भवनों की पहचान की जावें तथा जो भवन वर्षाकाल में गिर सकते है, इनकी मरम्मत करवाना तथा अनुपयुक्त पाये जाने पर उनको गिरा देने की कार्यवाही की जावें। संभावित दुर्घटना क्षैत्र, पॉईन्ट आदि का सर्वे करवाया जावें। सडक मार्ग से गुजरने वाले नदी–नाले, रपटे, कलवर्ट आदि पर होकर वर्षा का पानी बहने की स्थिति में उन स्थानों को चिन्हित कर दोनो ओर चेतावनी साईन बोर्ड, चैन, पीलर आदि लगा कर यातायात प्रतिबन्धित किया जावें।

ऐसे क्षैत्र जो गत मानसून/वर्षाकाल के दौरान जन हादसों का पर्याय बन चुके है उनका व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन किया जाकर चेतावनी बोर्ड, जंजीर, पीलर आदि लगवाये जायें तथा संबंधित ग्राम पंचायत को इस संदर्भ में सूचित किया जावें। सडक किनारे उगे बंबूल कटवाये जावें ताकि दुर्घटना एवं यातायात प्रभावित नहीं हो। नालो/नदियों के ऊपर बने पुलो व कटाव संभावित मार्गो का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत की जावें। आपदा स्थिति में वैकल्पिक मार्गो की सूची व अस्थायी पूल की योजना तैयार की जावें। ग्राम संपर्क सड़को की मरम्मत,जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। क्षतिग्रस्त सडकों में गड्डे आदि वर्षाकाल से पूर्व ठीक करवाये जावें। बीसलपुर बांध एवं अन्य बांध से जल प्रवाह की स्थिति में संभावित दुर्घटना के बचाव एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रहें, इसके लिये कार्ययोजना बनाकर संसाधन उपलब्ध रखें जावें।

10. शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग :–

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बाढ एवं आपदा के दौरान 15 जनू, 2025 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाकर कार्मिकों की नियुक्ति की जावें। जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों भवनों की जांच कर ली जावें ताकि आगामी वर्षा के दौरान अतिवृष्टि/बाढ़ से विद्यालय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना न रहे, साथ ही समाज कल्याण विभाग अपने अधीन चल रहे छात्रावास भवनों की भी जांच कर ली जावें। जिले के अन्य विद्यालय/छात्रावासों के भवनों की सूचना संकलित कर नियन्त्रण कक्ष में रखीं जावें। कोई भी विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने पर यदि उन्हें खाली कराने की आवश्यकता हो, तो तद्नुसार कार्यवाही की जावें। वर्षा काल के दौरान जो भवन राहत केन्द्रो के रूप में प्रयोग किये जाने है,उनकी संरचनात्मक मजबूती की जांच सुनिश्चित की जावें। विघालयों में शिक्षको व विद्यार्थियों को प्राथमिक आपदा प्रबंधन,सुरक्षित निकासी आदि का प्रशिक्षण दिया जावें।

11. राजस्व विभाग :–

जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने उपखण्ड क्षैत्र में मानसून, वर्ष 2025 की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित कर कन्टीजेन्सी प्लान तैयार करावें एवं उपखण्ड क्षैत्र का भ्रमण कर संभावित आपदा, ग्राम क्षैत्र में तालाब, नदी, नाले, कलवर्ट, रपटे आदि पर पूर्व आपदा के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपाय/तैयारी संबंधित विभाग द्वारा करवाई जावें। तहसील मुख्यालय पर दिनांक 15.06.2025 से आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाकर पालना रिपोर्ट जिला नियन्त्रण कक्ष एवं राज्य नियन्त्रण कक्ष को नियमित भिजवाई जावें। जिले के समस्त राजस्व अधिकारी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। वक्त भ्रमण वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ एवं तालाबों, बांधों, एनिकटों की सूचना अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त करते रहेंगे। पटवारियान/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण का अंकन अपनी दैनिक डायरी में किया जावेगा एवं निरीक्षण की रिपोर्ट अपने तहसील मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को देंगे। उपखण्ड अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित गांवों की सूची तैयार करवाएंगे। तहसील स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा बाढ़ बचाव हेतु किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा उपखण्ड अधिकारी करेंगे तथा संबंधित विभागों में सामंजस्य बनाए रखेंगे। तहसील स्तर पर स्थापित आपदा नियन्त्रण कक्ष द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान समय पर हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे। वर्षा की दैनिक सूचना वितन्तु संदेश एवं दूरभाष पर जिला नियंत्रण कक्ष को एवं भू–अभिलेख अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे। अतिवृष्टि या जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील ग्रामो की सूची अद्यतन की जावें। आपदा राहत केन्द्रो की पहचान /सुरक्षित भवनों जैसे विद्यालय,पंचायत भवन आदि को चिन्हित कर राहत केन्द्र के रूप में तैयार किया जावें। जलमार्गों,नदी–नालों व निचले क्षेत्रो के नक्शो का सत्यापन एवं नवीनीकरण की कार्यवाही की जावें।

12. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, :–

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले तालाबों, बांधों का निरीक्षण किया जावें तथा तालाबों, बांधों में कमियां पाये जाने पर उनकी दुरूस्ती/मरम्मत कार्य समय रहते करवाये जावें, इस संबंध में जांच रिपोर्ट भिजवाई जावें। मानसून के दौरान निम्नतर स्तर पर सूचना प्रसारित करने एवं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ग्राम में कम से कम दो राजकीय कर्मचारी चिन्हित कर तहसील स्तर पर एक वाट्स–एप ग्रुप का गठन किया जायें। सभी तहसील स्तर पर भी कर्मचारी/अधिकारी चिन्हित कर एक वाट्स–एप ग्रुप का गठन किया जावें ताकि आपदा के समय सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके। विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों/ग्राम विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 15 जून, 2025 तक ग्राम पंचायत क्षैत्र में संवेदनशील स्थानों यथा तालाब, नालों, नदियों आदि को चिन्हित करें एवं चेतावनी बोर्ड लगवायें। तालाब नालों में किये गये अतिक्रमण को प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्यवाही करें ताकि पानी बहाव अवरूद्व नहीं हो सके, इसकी सुनिश्चतता की जायें। बाढ की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक संसाधन, उपकरण आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें। नालियों व नालों की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। ग्राम विकास अधिकारी को वर्षाकाल के दौरान मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द करें तथा समय–समय पर इसकी जाँच भी की जावे।

13. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग :–

संभावित बाढ़ एवं आपदा की स्थिति में मौसम विभाग की चेतावनी को मध्यनजर रखते हुए संबंधित चेतावनी एवं जानकारी जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मीडिया के माध्यम से आमजन तक प्रसारित करवायेगें। वर्षाकाल के दौरान समय–समय पर प्रिन्ट मीडिया आदि के माध्यम से होने वाली दुर्घटनाओं के लिये आम जनता को समाचार प्रकाशित कर जागरूक करेगें। स्थानीय रेडियो,लाउडस्पीकर ,सोशल मीडिया के माध्यम से सतर्कता संदेश प्रसारित किया जावें। वर्षाकाल के दौरान बाढ़ की सावधानियों हेतु प्रचार–प्रसार किया जावें साथ ही किसी भी प्रकार की गलत अफवाह न प्रसारित हो इसकी सुनिश्चितता की जावें।

14. नागरिक सुरक्षा विभाग, कलेक्ट्रेट :–

प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कार्यालय ब्यावर को निर्देशित किया है कि प्रशिक्षित स्वयंसेवक मय बचाव उपकरणों एवं वाहन के आपदा नियन्त्रण कक्ष में 15 जून, 2025 से तैनात करें।

15. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष :–

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी, श्री मोहनलाल खटनावलिया अति. जिला कलक्टर ब्यावर होंगे। प्रभारी अधिकारी के सहयोग हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी, डॉ0 गोपाल लाल मीणा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,ब्यावर को लगाया जाता है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में चुनाव शाखा में 15 जून, 2025 से संचालित रहेगा।

जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष एवं राज्य आपदा नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष निम्नानुसार है:–

	जिला स्तर	राज्य स्तर
1.	दूरभाष नम्बर , विशेषाधिकारी प्रथम, 01462299314, 9799075674 है) 2385776, 2385777, 2227605	(प्रभारी अधिकारी, श्री मक्खन लाल, जिनके मो0न0 दूरभाष न0 0141–2227296,
1.	ई–मेल एड्रेस–relsec.dmbeawar @gmail.com	relief-rj@nic.in
2	टोल फ्री नं0– 1077	1070 व 11
3.	फैक्स नं0– –	0141–2227230, 2227603

प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी दिनांक 15 जून, 2025 से अनवरत रूप से तीन पारियों में अग्रिम आदेश तक जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष संचालित करेगें। नियन्त्रण कक्ष द्वारा दैनिक वर्षा की सूचना तैयार कर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर एवं राज्य नियंत्रण कक्ष को भिजवायेगें। आपदा नियन्त्रण कक्ष में कार्मिको की ड्यूटी पर पूरा नियंत्रण रखा जावें। दैनिक वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ एवं प्राप्त होने वाले संदेशों की पंजिका संधारित की जावें।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अन्त में सभी उपस्थित अधिकारियों का अति. जिला कलक्टर,ब्यावर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अतः सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से आगाह कर देवे कि आने वाले मानूसन के समय बिना जिला कलेक्टर महोदया की अनुमति के वे मुख्यालय नही छोडें और अपने विभाग में उपलब्ध संसाधनों/उपकरणों के साथ पूरी तैयारी रखें। सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियो के नाम, पदनाम, टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर व पते सहित सूची इस कार्यालय को भिजवाते हुए उसकी प्रति अपने विभाग/कार्यालय में भी सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सके।

(मोहनलाल खटनावलिया)
अति0 जिला कलक्टर, ब्यावर

क्रमांकः– बाढ/अतिवृष्टि/सहा./2025/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, ब्यावर
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ब्यावर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्यावर
5. आयुक्त नगर परिषद,ब्यावर
6. जिला रसद अधिकारी, ब्यावर
7. उप निदेशक, पशु पालन विभाग/कृषि विभाग, ब्यावर
8. जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक ब्यावर
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, ब्यावर
11. प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि0,ब्यावर
12. उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,ब्यावर
13. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/अविविएनएल/जल संसाधन विभाग,ब्यावर
14. उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर/मसूदा/जैतारण/रायपुर/बदनोर/टॉडगढ
15. तहसीलदार, ब्यावर/मसूदा/जैतारण/रायपुर/बदनोर/टॉडगढ/बिजयनगर
16. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर,मसूदा,जैतारण,रायपुर
17. विकास अधिकारी मसूदा,जवाजा,जैतारण,रायपुर,बदनोर

अति0 जिला कलक्टर
ब्यावर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर(सहायता),ब्यावर

क्रमांक: /सहायता/बाढ़/2025/ दिनांक :–

–:आदेश:–

आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 8(1)आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/2022/राजकाज/15321258 दिनांक 15.05.2025 से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में सम्भावित बाढ़/अतिवृष्टि की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष (EOC) की स्थापना तुरंत प्रभाव से की जाती हैं,उक्त नियंत्रण कक्ष दिनांक 15 जून 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक संचालित रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष(EOC) के दूरभाष नंबर 01462299314 रहेगा। नियंत्रण कक्ष में लगे अधिकारी/कर्मचारी आपदा प्रबंधन एवं बाढ से संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाऐं समय–समय पर त्वरित आदान–प्रदान करेंगें। जिलें के प्रत्येक वर्षा मापी केन्द्रो से सूचना(प्रातः व सांयः) प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना नियमित रूप से जरिये ई–मेल राज्य सरकार एवं जिला/उपखण्ड के प्रभावी विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी

विवरण	अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नंबर
पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री मोहनलाल खटनवालिया	अतिरिक्त जिला कलक्टर,ब्यावर	9414252652
प्रभारी अधिकारी	डॉ0 गोपाल लाल मीणा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्यावर	9928278824
सहायक प्रभारी	श्री हनुत सिंह रावत	तहसीलदार ब्यावर	9214025896

जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष(EOC) के लिए निम्नानुसार कार्मिको के दल का गठन किया जाता है:–

क्र.स.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद व पदस्थापन स्थान	विभाग	मोबाईल नंबर
		प्रथम पारी प्रातः 6.00 बजे से 2 बजे तक		
01.	श्री अश्विन कुमार	अति.प्रशा.अधिकारी राउमावि ब्यावर खास	शिक्षा विभाग	9413640818
02.	श्री रामअवतार चौधरी	वरिष्ठ सहायक पीएम श्री राबाउमावि छावनी रोड़ ब्यावर	शिक्षा विभाग	9549140825
03.	श्री सुरजप्रकाश मीणा	कनिष्ठ सहायक राबाउमावि डिग्गी मौहल्ला ब्यावर	शिक्षा विभाग	7073728232
		द्वितीय पारी दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
01.	श्री मनमोहन गुगरवाल	सहा.प्रशा.अधिकारी राउमावि जवाजा	शिक्षा विभाग	9314009543
02.	श्री रविन्द्र कुमार जगरत	वरिष्ठ सहायक राबाउमावि राजियावास	शिक्षा विभाग	8094207128
03.	श्री गौतम रावल	कनिष्ठ सहायक शहीद जान मोहम्मद राउमावि रूपनगर	शिक्षा विभाग	9660727575
		तृतीय पारी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक		
01.	श्री सुरेश कुमार पमनानी	सहा.प्रशा.अधिकारी राउमावि काबरा	शिक्षा विभाग	9887917114
02.	श्री भारतेन्दु कुमार वर्मा	वरिष्ठ सहायक राउमावि तारागढ़	शिक्षा विभाग	9602704554
03.	श्री साबीर काठात	कनिष्ठ सहायक राउमावि गाफा	शिक्षा विभाग	9358803025
		आरक्षित दल		

01.	श्री सुनील कुमार चौहान	कनिष्ठ सहायक राउमावि बंजारी	शिक्षा विभाग	9829639731
02.	श्री कैलाश राकेछा	वरिष्ठ सहायक राउमावि भरकाला	शिक्षा विभाग	941316509

01. जिलें में डीक्यूआरटी में तैनात नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वंयसेवक अपनी ड्यूटी के दौरान कन्ट्रोल रूम पर उपस्थित रहेंगें।
02. वर्षा की सूचना एवं सिंचाई विभाग की सूचना एकत्रित की जाकर प्रभारी अधिकारी बाढ नियंत्रण कक्ष द्वारा जिला कलक्टर महोदय/अति0 जिला कलक्टर,ब्यावर को प्रतिदिन प्रातः 9.30 पर प्रस्तुत करेंगें।
03. जिला आपदा प्रबंधन बाढ नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपदा सबंधित सूचनाऐं जो तहसील स्तर पर स्थापित ई0ओ0सी0 सेंटर ,अन्य विभागों एवं अन्यत्र से प्राप्त होगी,उनका तत्काल संप्रेषण का कार्य करेंगें तथा रजिस्टर पंजिका का संधारण कर उसमें प्राप्त सूचना का इन्द्राज एवं किये गये समाधान का स्पष्ट इन्द्राज करेंगें तथा पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।
04. प्रथम पारी का साप्ताहिक अवकाश रविवार,द्वितीय पारी का सोमवार ,तृतीय पारी का मंगलवार तथा आरक्षित दल का बुधवार रहेगा। ड्यूटी पर तैनात कार्मिको देय साप्ताहिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश(विशेष परिस्थिति में) के दिनो में आरक्षित पारी वाले कार्मिक ई0ओ0सी0 में ड्यूटी करेंगें तथा शेष अवधि में आरक्षित दल की ड्यूटी प्रातः 9.30 बजे से 6.00 बजे तक ई0ओ0सी0 में रहेगी तथा वे अपनी उपस्थिति भी यही दर्ज करेंगें।
05. नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिक आगामी दल के उपस्थित होने पर ही प्रस्थान करेंगें।
06. पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त कर्मचारियो को किसी प्रकार का स्वीकृत नही होगा।

(मोहनलाल खटनावलिया)
अति0 जिला कलक्टर, ब्यावर

क्रमांकः /सहायता/बाढ़/2025/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

01. श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
02. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
03. जिला पुलिस अधीक्षक, ब्यावर
04. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, ब्यावर
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्यावर
06. आयुक्त नगर परिषद ब्यावर
07. जिला रसद अधिकारी ब्यावर
08. उपखण्ड अधिकारी(समस्त) जिला ब्यावर
09. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ब्यावर
10. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत ब्यावर
11. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ब्यावर
12. अधीक्षण अभियन्ता, अविविएनएल ब्यावर
13. उपनिदेशक पशुपालन विभाग ब्यावर
14. उप निदेशक कृषि विभाग ब्यावर
15. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्यावर को भेजकर लेख है कि आप बाढ नियंत्रण कक्ष मे लगे कार्मिको को कार्यमुक्त कर तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करावें।
16. तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति ....(समस्त)
17. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी ब्यावर
18. जिला परिवहन अधिकारी ब्यावर
19. निजी सहायक जिला कलक्टर/अपर कलक्टर ब्यावर
20. श्री ....
21. रक्षित पत्रावली

अति0 जिला कलक्टर
ब्यावर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर(सहायता),ब्यावर

क्रमांकः /सहायता/बाढ़/2025/ दिनांक :–

–:संशोधित आदेश:–

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 400 दिनांक 10.06.2025 द्वारा जिला कार्यालय ब्यावर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष में दिनांक 15 जून 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक कार्मिको की ड्यूटी लगाई गई थी जिसमें संशोधन किया जाता है जो निम्नानुसार है तथा शेष आदेश यथावत रहेगा।

क्र.स.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद व पदस्थापन स्थान	विभाग	मोबाईल नंबर
		प्रथम पारी प्रातः 6.00 बजे से 2 बजे तक		
01.	श्री अश्विन कुमार	अति.प्रशा.अधिकारी राउमावि ब्यावर खास	शिक्षा विभाग	9413640818
02.	श्री रामअवतार चौधरी	वरिष्ठ सहायक पीएम श्री राबाउमावि छावनी रोड़ ब्यावर	शिक्षा विभाग	9549140825
03.	श्री आदिल खान	कनिष्ठ सहायक राउमावि पीपलाज मसूदा	शिक्षा विभाग	7073823438
		द्वितीय पारी दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
01.	श्री सुरेश कुमार पमनानी	सहा.प्रशा.अधिकारी राउमावि काबरा	शिक्षा विभाग	9887917114
02.	श्री अमित गंगवानी	वरिष्ठ सहायक राउमावि पटेल ब्यावर	शिक्षा विभाग	9413808812
03.	श्री दीपेश सेन	कनिष्ठ सहायक राउमावि चतरपुरा बदनोर	शिक्षा विभाग	7230989272
		तृतीय पारी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक		
01.	श्री मनमोहन गुगरवाल	सहा.प्रशा.अधिकारी राउमावि जवाजा	शिक्षा विभाग	9414406786
02.	श्री भारतेन्दू कुमार वर्मा	वरिष्ठ सहायक राउमावि तारागढ़	शिक्षा विभाग	9602704554
03.	श्री साबीर काठात	कनिष्ठ सहायक राउमावि गाफा	शिक्षा विभाग	9358803025
		आरक्षित दल		
01.	श्री सुनील कुमार चौहान	कनिष्ठ सहायक राउमावि बंजारी	शिक्षा विभाग	9829639731
02.	श्री कैलाश राकेछा	वरिष्ठ सहायक राउमावि भरकाला	शिक्षा विभाग	941316509

01. जिलें में डीक्यूआरटी में तैनात नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वंयसेवक अपनी ड्यूटी के दौरान कन्ट्रोल रूम पर उपस्थित रहेंगें।
02. वर्षा की सूचना एवं सिंचाई विभाग की सूचना एकत्रित की जाकर प्रभारी अधिकारी बाढ नियंत्रण कक्ष द्वारा जिला कलक्टर महोदय/अति0 जिला कलक्टर,ब्यावर को प्रतिदिन प्रातः 9.30 पर प्रस्तुत करेंगें।
03. जिला आपदा प्रबंधन बाढ नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपदा सबंधित सूचनाऐं जो तहसील स्तर पर स्थापित ई0ओ0सी0 सेंटर ,अन्य विभागों एवं अन्यत्र से प्राप्त होगी,उनका तत्काल संप्रेषण का कार्य करेंगें तथा रजिस्टर पंजिका का संधारण कर उसमें प्राप्त सूचना का इन्द्राज एवं किये गये समाधान का स्पष्ट इन्द्राज करेंगें तथा पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।
04. प्रथम पारी का साप्ताहिक अवकाश रविवार,द्वितीय पारी का सोमवार ,तृतीय पारी का मंगलवार तथा आरक्षित दल का बुधवार रहेगा। ड्यूटी पर तैनात कार्मिको देय साप्ताहिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश(विशेष परिस्थिति में) के दिनो में आरक्षित पारी वाले कार्मिक ई0ओ0सी0 में

ड्यूटी करेंगें तथा शेष अवधि में आरक्षित दल की ड्यूटी प्रातः 9.30 बजे से 6.00 बजे तक ई0ओ0सी0 में रहेगी तथा वे अपनी उपस्थिति भी यही दर्ज करेंगें।

05. नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिक आगामी दल के उपस्थित होने पर ही प्रस्थान करेंगें।

06. पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त कर्मचारियो को किसी प्रकार का स्वीकृत नही होगा।

(मोहनलाल खटनावलिया)
अति0 जिला कलक्टर, ब्यावर

क्रमांकः /सहायता/बाढ़/2025/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

01. श्रीमान् शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
02. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
03. जिला पुलिस अधीक्षक, ब्यावर
04. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, ब्यावर
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्यावर
06. आयुक्त नगर परिषद ब्यावर
07. जिला रसद अधिकारी ब्यावर
08. उपखण्ड अधिकारी(समस्त) जिला ब्यावर
09. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ब्यावर
10. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत ब्यावर
11. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ब्यावर
12. अधीक्षण अभियन्ता, अविविएनएल ब्यावर
13. उपनिदेशक पशुपालन विभाग ब्यावर
14. उप निदेशक कृषि विभाग ब्यावर
15. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्यावर को भेजकर लेख है कि आप बाढ नियंत्रण कक्ष मे लगे कार्मिको को कार्यमुक्त कर तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करावें।
16. तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति ....(समस्त)
17. सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी ब्यावर
18. जिला परिवहन अधिकारी ब्यावर
19. निजी सहायक जिला कलक्टर/अपर कलक्टर ब्यावर
20. श्री ....
21. रक्षित पत्रावली

अति0 जिला कलक्टर
ब्यावर

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर(सहायता),ब्यावर

क्रमांक/कब्या/सहायता/बाढ़/2025/ दिनांक

:-आदेश-:

आगामी मानसून सत्र 2025 में संभावित अतिवृष्टि/बाढ़ से होने वाली आपदा की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए जिला ब्यावर के उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवको की तैनाती दिनांक 18.06.2025 से 18.07.2025 तक की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

उपखण्ड/तहसील क्षेत्र टॉडगढ़

क्र.स.	नाम स्वंयसेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नंबर	विशेष विवरण
01.	श्री भरत कुमार रेडिया	3793	9587500749	
02.	लक्ष्मी सैनी	4221	9024366922	
03.	श्री ऋषभ वैष्णव	3983	6367562150	
04.	श्री पूरन सिंह	3848	8278646055	

उपखण्ड/तहसील क्षेत्र मसूदा

क्र.स.	नाम स्वंयसेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नंबर	विशेष विवरण
01.	श्री नरेश कुमार	2777	9672011846	
02.	श्री राजेश गौरा	3723	9413993104	
03.	श्री जितेन्द्र बालोटिया	3799	9636200908	
04.	श्री दुर्गालाल	3896	7427014576	

उपखण्ड/तहसील क्षेत्र जैतारण

क्र.स.	नाम स्वंयसेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नंबर	विशेष विवरण
01.	श्री कुंदन	4232	7734807127	
02.	श्री जीतराम माली	4217	9828675622	
03.	श्री प्रकाश सिंह रावत	4132	8306732392	
04.	श्री शैलेन्द्र सिंह रावत	4214	7014199403	

उपखण्ड / तहसील क्षेत्र बदनोर

क्र.स.	नाम स्वंयसेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नंबर	विशेष विवरण
01.	श्री अकरम	3960	9649399583	
02.	श्री फुलचंद	4077	7357127995	
03.	श्री प्रभुलाल कहार	3893	7734983850	
04.	विमल चांदावत	4000	9079609438	

उपखण्ड / तहसील क्षेत्र रायपुर

क्र. स.	नाम स्वंयसेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नंबर	विशेष विवरण
01.	श्री चन्द्र सिंह रावत	4131	9928172643	
02.	श्री राजेन्द्र प्रसाद माली	4120	9929800694	
03.	श्री सुरेश	3888	9024336888	
04.	श्री कमलेश कहार	4074	9784790758	

जिला कार्यालय ब्यावर

क्र. स.	नाम स्वंयसेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नंबर	विशेष विवरण
01.	सोनू नारावत	3998	9680751809	

(मोहनलाल खटनावलिया)
अति0 जिला कलक्टर
ब्यावर

क्रमांक / सम / 2025 / दिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

01. श्रीमान् जिला कलक्टर(सहायता) अजमेर
02. उपनियंत्रक नागकिर सुरक्षा,अजमेर
03. उपखण्ड अधिकारी ब्यावर,मसूदा,रायपुर,जैतारण,टॉडगढ़,बदनोर
04. तहसीलदार ब्यावर,मसूदा,रायपुर,जैतारण,टॉडगढ़,बदनोर,बिजयनगर
05. संबंधित नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवक श्री......................................को भेजकर लेख है कि आप अपनी उपस्थिति तुरंत प्रभाव से देना सुनिश्चित करें।
06. आदेश पत्रावली

अति0 जिला कलक्टर,ब्यावर

आपदा के दौरान

कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकड़े तैयार रखवाना।

जिला प्रशासन

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।

- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

सिंचाई विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।
-

नगर पालिका/परिषद/ निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।

- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि मे जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वंयसेवी संगठन

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

अध्याय – 5

जिले में सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना

5.1 सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमे उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :– अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- **कृषि संबंधी सूखा** :– फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपों का पुनर्भरण।
- मिट्‌टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

इस वर्ष इस जिले का कोई गांव सुखाग्रस्त घोपित नही है पुर्व में सुखाग्रस्त होने के कारण निम्न रूप से तैयारिया की जाती रही है।

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोपणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्घावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याहन योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।

- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

स्वंय सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोपहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोपपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोके के प्रयास करें।

- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

5.2 बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है–विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।

5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेपी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 0141–2702480 है।

क. सं.	कार्यरत कन्ट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1	राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	0141–2702480
2	जिला कन्ट्रोल रूम,	02932–252804
3	सिंचाई विभाग,	02932–222243

सिंचाई विभाग

1. सुरक्षित स्थानों का चयन (परिशिष्ट संख्या 7, 8)
2. सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
3. वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
4. सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
5. बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें। मेडिकल स्टोर्स की सूची 5 परिशिष्ट पर है।

6. सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलवन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
7. अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना
8. नावों की सूची उपलब्ध कराना
9. तैराकों की सूची परिशिष्ट नं. 10 पर उपलब्ध है

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।
परिशिष्ट नं. 2, 3 चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची उपलब्ध है

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

1. चिकित्सा अधिकारी	01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01
6. वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रामक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क मे रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरूस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी/एन.एस.एस.

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए **101** पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी सूची (परिशिष्ट संख्या 17)

5.3 दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाडी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें

- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाडियों का अनुचित रखरखाव

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्थ आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 108 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्त्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची परिशिष्ट 2, 3, 5 पर है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना परिशिष्ट 6
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।

- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग
- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग
- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद/ पालिका/ पंचायत
- टैंटों की व्यवस्था।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग
- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संघटन
- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नही।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।

- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे–

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज़ से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

5.4 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उदगम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उदगम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र V** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्र IV** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) **क्षेत्र III** :– इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) **क्षेत्र II** :– क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

5) **क्षेत्र I** :– इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	**तीव्रता के लक्षण** भूकम्पों का प्रभाव)	**रिक्टर मापक परिणाम**
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

भूकम्प का इतिहास

जोन 1 व जोन 2

वर्ष व दिनांक	स्थिति
जून 10, 1819	कच्छ रन
अप्रैल 28, 1848	मा. आबू के पास
अप्रैल 29, 1864	''
अप्रैल 9, 1909	मा. आबू
सितम्बर 26, 1910	मा. आबू
जनवरी 29, 1940	''
सितम्बर 1, 1962	$24.2^0 - 73.0^0$
अक्टूबर 24, 1969	$24.7^0 - 73.7^0$
जनवरी 26–2001	गुजरात 6.9

बिहार, नेपाल सीमा पर जनवरी 15, 1934 में आया भूकम्प भी हल्का महसूस किया गया था।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।

- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना (सूची परिशिष्ट 2, 3, 5)

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओ जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 108 व 102 पर सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।

- भीपण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

5.5 आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीपण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते है। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठनों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेपतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भंयकर रूप ले सकती है–यथा– वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।

- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नही होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फैकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलचे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य मे असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शाति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र :– नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती ज़िलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थेले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वय सेवकों की सहायता लेना
- डिविज़न एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 2)
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 5)
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता (सूची परिशिष्ट 3)

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वंय सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद

- राहत शिविर (रैन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वंय सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना (सूची परिशिष्ट 22)

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें :–

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।

- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :–

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।

मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली बिमारिया – खासी, मलेरिया बुखार,, वायरल बुखार, चिकनगुनिया, दस्त, हैजा, चर्मरोग, होने की संभावना रहती है। इसके रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग , जलदाय विभाग, मलेरिया विभाग, नगरपालिका/ नगर परिषद सर्तक रहें तथा माकूल व्यवस्था बनाये रखें। उपचार संबधी सभी व्यवस्था की जावे।

आतंकवाद – यह एक सामाजिक तत्व का ही अंग है।
आतंकवाद का उद्देश्य – आतंकवादीयों का एक ही उद्देश्य होता है कि देश में अराजकता फैलाना। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना तथा देश मे लोगों के अमन चैन में दखलअंदाजी करना ही है। आतंकवादी का कोई मानव धर्म नही होता है। देश में बम ब्लास्ट करना/ मानव जन हानि/ पशु हानि को क्षति पंहूचाना / देश की चल अचल सम्पति नष्ट करना ही है। देश की सुरक्षा को खत्म करना।
आंतकवादियों द्वारा स्थान का चयन – आंतकवादी देश के मुख्य स्थान बाजार / सार्व0 स्थान/ भीड भाड वाले इलाके को ही स्थान का चयन करते है।
आतंकवादियों की पहचान – मौसम के अनुकूल कपडे नही पहनना जैसे गर्मी में कोट या जैकेट पहनना। लोगों के किसी समूह में अपने पहनावे एंव व्यवहार से घुलने मिलने की चेष्टा करना जबकि उसका उस समूह से कोई संबध नही होता है। उनके वस्त्रों से अजीब तरह से कोई चीज बाहर दिखाई दे रही है वह कोई शस्त्र या गोला बारूद भी हो सकता है। संदिग्ध वाहन की अगली व पिछली नम्बर प्लेट में रदो बदल करना जिससे की वाहन के पहचानने मे मुश्किल हो।
किसी मुख्य स्थल या ना पार्किंग में लम्बे समय तक किसी वाहन को खडे रखना। वाहन का पिछला हिस्सा असामान्य रूप से झूका हुआ हो।

आतंकवाद के सुरक्षा के उपाय – यदि कोई संदेह हो तो इसकी जानकारी दूरभाप पर संदिग्ध व्यक्ति या वाहन पर लगातार निगरानी रखें। पुलिस के पंहूचने तक इंतजार करे। मुख्य स्थानों पर किसी लावारिस चीज को पडी हुई हो तो उसे न छूयें। कभी भी संदिग्ध /लावारिस वस्तु को न छुयें। किसी अनजान व्यक्ति को अपना मकान किराये पर न देवे। कार/ मोटरसाईकिल या स्कूटर खरीदने /बेचने से पहले वाहन के स्वामित्व की जांच पडताल अवश्य करे। अनजान वस्तु बम/ बमविस्फोट सामग्री भी हो सकती है। आतकवादी घटना के दौरान घटनास्थल को छोडकर तुरंत किसी खुली जगह का सुरक्षित स्थान पर चले जाये। जहां तक संभव हो उंची इमारतो/शिशे की खिडकियों व वाहनों से दूर रहे। पुलिस की हिदायतों का पालन करे। वारदात के तुरंत भीड न करे तथा न ही भीड में शामिल हो। तत्काल घटन स्थल से दूर रहे संभवतया वहा पर विस्फोटक सामग्री भी हो सकती है।

पुलिस व बचाव दल के वाहनों के मार्ग में अवरूद्व न करे। हमेशा चौकस रहे और किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री के बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करे। यदि आपके पास कोई ऐसी सूचना है जिसकी मदद से संदिग्ध आंतकवादियों या उनके द्वारा इस्तेमाल किये वाहनों को ढूंढा जा सके तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत देवे। वाहन खरीददार /वाहन विक्रेता दोनो को वाहन की पहचान /जांच पडताल करनी चाहिए। विशेपकर उस वाहन खरीददार के बारे में जो जिले/ प्रात से बाहर रहते हों। वाहन के खरीद फरोक्त में विशेप ध्यान रखें क्योंकि आतंकवादी वारदातों में इनका इस्तेमाल होन की संभावना अधिक रहती है। मकान मालिक या प्रोपर्टी डीलर को किरायेदार के बारे में भली भांति जांच पडताल करे। बिना जांच पडताल के मकान किराये पर न दे। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मकान किराये पर लेने का प्रयास कर रहा हो तो अपने निकट के पुलिस स्टेशन को सूचित करे।

गेस्ट हाउस /लॉज /होटल के मालिक संदिग्ध/ अनजान व्यक्ति का कमरा किराये पर देने से पूर्व आगन्तुक की पहचान दस्तावेज पासपोर्ट की वैधता /राशन कार्ड / फोटो पहचान पत्र की जांच अवश्यक कर लेवे। सन्देह होन पर पुलिस स्टेशन को सूचित अवश्य करे।

इसके अलावा अपने आस पास किसी भी संदिग्ध और लावारिस वस्तु जैसे हैंडबैग /पेकेट और ऐसा ही अन्य समान या कोई भी संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति के बारे मे पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करे।
बस/रेल यात्रा के दरम्यान किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने की चीज न लेकर के खाये तथा न ही उनसे जानपहचान

5.6 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है।
सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :–

औद्योगिक दुर्घनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों / गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

5.7 ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से. और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 44^0 से या 45^0 से तक पहुंच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।

- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले मे कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

गणपति मेडिकल एण्ड जनरल	डाक बंगला रोड	श्री तरूण व्यास पुत्र कैलाश नारायण व्यास फतेहपुरिया, चौपड़, अजमेरी गेट, ब्यावर, अजमेर
पी.के. मेडिकल स्टोर	बस स्टेण्ड	श्री अलादीन पुत्र शम्सुदीन पीपलिया कला, रायपुर, पाली
भगवान मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पुखराज गुप्ता पंटारों की पोल, रायपुर, पाली
भारत मेडिकल सटोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री विनोद लोढ़ा पुत्र गौतम चन्द, लोटो का बास, रायपुर, पाली
श्री गणेश मेडिकल एण्ड जन. स्टोर	तेज चौक	श्री सत्यनारायण सैन पुत्र राम लाल सैन गिरी तह. रायपुर, पाली
श्री दुलेराज सुगनचंद लोटा	राज. अस्पताल के सामने	श्री गौतम चन्द लोढ़ा पुत्र श्री सुगन चंद, लोढो का बास, रायपुर, मारवाड़, पाली
जगदम्बा मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री विजेन्द्रसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह राठौड़, गांव निम्बाज, त. जैतारण, जिला पाली
इन्द्रा मेडिकल स्टोर	बस स्टेण्ड	श्री सत्यप्रसन्नसिंह पुत्र श्री नारायणदान खिडिया, निवासी कावलिया, खुर्द, त. जैतारण पाली
जनता मेडिकल स्टोर	उम्मेद मार्केट	श्री बाबूलाल गेहलोत पुत्र श्री नारायण गेहलोत, ताबूतो की निम्बड़ी,त. जैतारण, पाली
गणेश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	आंखो के अस्पताल के सामने जैतारण	श्री मोहन महर्षि पुत्र अमरचंदजी लखरो का बास, जैतारण, जिला पाली
गेहलोत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	रेफरल अस्पताल के सामने	श्री रतन लाल पुत्र श्री धर्मीचन्द्र गेहलोत मु.पो. आनन्दपुर कालू, त. जैतारण, पाली
गेहलोत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	राज.अस्पताल के पास	श्री समन्दरराम पुत्र श्री शंकरलाल माली अ.कालू त. जैतारण, पाली
भारत मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	राजकीय अस्पताल के पास	श्री विष्णुदेवासी पुत्र श्री प्रेमाराम देवासी मु.पो. बलून्दा, त. जैतारण, पाली
आनन्द मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	राज. चिकि. के पास	श्री गिरधारी पुत्र श्री मुरलीधरजी नाईयों का बास, आ. कालू, त. जैतारण, पाली
भाटी मेडिकल स्टोर	राज. अस्पताल के सामने	श्री नंदकिशोर भाटी पुत्र श्री सोहनलाल भाटी अग्रवा रोड, जैतारण, पाली
बंशीलाल भैरूलाल	मैन बाजार	श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री गणेशमल ब्राह्मण, लखारो का बास, जैतारण, पाली
आनन्द मेडिकोज	राज. अस्पताल के पास	श्री सुखदेवसिंह चारण श्री अर्जुनसिंह चारण, कावलिया खुर्द, त. जैतारण, जिला पाली
अनिल मेडिकल स्टोर	राज. चिकि. के सामने	श्री तेजमल पुत्र श्री किशन प्रजापत कुन्दन भवन गली, ब्यावर, जिला अजमेर

अश्विनी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	पेट्रोल पम्प के सामने	श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जोशी का रोलिया रोड़, जैतारण, पाली
माताजी मेडिकल स्टोर	राज. चिकित्सालय के सामने	श्री भगवानाराम सिखी पुत्र श्री लाबूराम सिखी बेरा शिवसागर, ग्राम झाक, तह. बिलाड़ा, जोधपुर
टाक मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	अस्पताल के पास	श्री विनोदकुमार पुत्र श्री जीवराज टांक, गांव निम्बोल, त. जैतारण, पाली
प्रकाश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	बस स्टेण्ड	श्री प्रकाश चंद पुत्र श्री मुरलीधर सैन, मु.पो. आ.कालू, त. जैतारण, पाली
महावीर मेडिकल स्टोर	अस्पताल के पास	श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री मुन्ना लाल जैन, मु.पो. जैतारण, पाली
नितीन मेडिकल स्टोर	राजकीय अस्पताल के सामने	श्री तेजारराम घांची पुत्र श्री राधाकिशन घांधी, घांचियों का बास, निम्बोल, त. जैतारण, पाली
युंकावत मेडिकल स्टोर	राजकीय अस्पताल के पास	श्री धन्नाराम यूंकावत पुत्र श्री भवानीराम राकावंत राजकीय अस्पताल के पास, जैतारण, पाली

कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

Tel.No. [illegible] Email Add: [illegible]@gmail.com

क्रमांक/बाढ़ राहत/[illegible]/24-25/2146 दिनांक 23-5-24

श्रीमान प्रभारी अधिकारी
सहायता शाखा
जिला कलक्टर एवं जिला कलेक्ट्रेट, ब्यावर।

विषय :– जिला स्तरीय बाढ़ प्रबन्धन योजना हेतु सूचना भिजवाने बाबत्।
प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक/कम/एफ.16/सहायता/2024/248–60 दिनांक 21.05.2024 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है, कि आप द्वारा चाही गई वांछित निम्नानुसार है :–

1. आश्रय स्थल/होटल/विश्राम स्थलों की सूची मय फोन नम्बर

क्र. सं.	आश्रय स्थल का नाम	केयर टेकर का नाम	मोबाईल नं.
1.	प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास विजयनगर रोड आश्रय स्थल ब्यावर	अनिल चौधरी	9983629598
2.	विश्राम सेवी रेल्वे स्टेशन के पास आश्रय स्थल ब्यावर	गोलू नागर	8955807549

होटल की सूची –

क्र. स	होटल का नाम	पता	होटल संचालक का नाम	मोबाइल नं.
1	होटल श्री	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री विरेन्द्र सिंह/महेन्द्र सिंह यादव	9414272861
2	तमन्ना रेस्टोरेन्ट	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री विरेन्द्र सिंह/महेन्द्र सिंह यादव	9214409493
3	होटल शंकुन	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री रामचरण यादव/ महेन्द्र सिंह यादव	9414009697
4	रामाडा इन होटल	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री दिनेश माहेश्वरी/हरी वल्लभ	9829180627
5	मैसर्स रामाडा इन रेस्टोरेन्ट	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री दिनेश माहेश्वरी/हरी वल्लभ	9829180627
6	होटल शंकर पैलेस	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री कपिल यादव/शंकर सिंह	9414010573
7	कपिल रेस्टोरेन्ट	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्रीकपिल यादव/ शंकर सिंह	9414010573
8	शुभम पैलेस होटल	अजमेरी गेट के अन्दर ब्यावर	श्री इन्द्रचन्द पदावत/मोरतमल	9829373806
9	कृष्णा होटल	रॉयल टाकिज के पास अजमेरी गेट	श्रीम[illegible]	[illegible]4009588

Signature valid
Digitally signed by S[illegible]wan Ram
Designation: Commissioner
Date: 2024.0[illegible] [illegible]06:02 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref 7448316

Scanned with OKEN Scanner

10	राजमहल होटल	सेन्दडा रोड ब्यावर	श्री रमेश कुमार साहू/मिश्रीलाल	9352411530
11	राजमहल रेस्टोरेन्ट	सेन्दडा रोड ब्यावर	श्री रमेश कुमार साहू/मिश्रीलाल साहू	9352411530
12	होटल सूर्यमहल	सेन्दडा रोड ब्यावर	श्री गजान्द बजाज/देवीलाल बजाज	9829072160
13	विनोद होटल	सिटी सिनेमा के पास, ब्यावर	श्री हरी पी हमेलानी/प्रतापराम	9314412300
14	दिल्ली इन होटल	सिटी सिनेमा के पास, ब्यावर	श्रीमती शशी गुप्ता/रामपाल गुप्ता	9414347574
15	ज्योति पेराडाईज होटल	उदयपुर रोड़ ब्यावर	श्रीमती सुशीला देवी/अर्जुनलाल	8875007579
16	चन्द्रा पैलेस	देलवाडा रोड़ ब्यावर	श्रीमति चन्द्रकान्ता/मुकेश काठात	9829948932
17	जिन्दल होटल	अजमेर रोड़ ब्यावर	श्री गोपी किशन लोहिया	9829666631
18	कृष्णा कुंज होटल	पांच बती ब्यावर	श्रीमती अनिता गर्ग C/o चान्दमल/श्याम सुन्दर सर्राफ	9414009144
19	श्री केशव होटल	अजमेर रोड़ ब्यावर	श्री राजेन्द्र सिह/महेन्द्र सिंह	9214409493
20	गणपति विश्राम गृह	एन.एच 8 विजय भवन किशनगंज	श्रीमति राजरानी जैन/नोरतमल	820909309
21	ग्रेण्ड गीता होटल	दाधीधम के सामने देलवाडा रोड ब्यावर	श्री राकेश यादव/हरी सिंह एवं श्रीमति सुनिता यादव/राकेश यादव	9214660941
22	गीत रेस्टोरेन्ट	दाधीधम के सामने देलवाडा रोड ब्यावर	श्री राकेश यादव/हरी सिंह एवं श्रीमति सुनिता यादव/राकेश यादव	9214660941
23	श्रीराम रेस्टोरेन्ट एवं कैफे	23/1 मोतीपुरा बाडिया	श्री मुकुल शर्मा/पुष्करनारायण शर्मा	7568148481
24	किंग स्टोन पेराडाईज होटल	सतपुरिया पुलिया देलवाडा रोड ब्यावर	श्री पुनित टांक पुत्र श्री अनिल टांक	9414008954
25	कबिला रेस्टोरेन्ट	सेन्दडा रोड़ ब्यावर	श्रीमती रंजना सिंह/मनोज सिंह पंवार	8005657535
26	राज पैलेस रेस्टोरेंट	गोपाल नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर	श्री सूरज करण धाकड़	9414009598
27	आर.आर. ब्रदर्स रेस्टोरेंट	रतनी देवी कॉलोनी कृष्णा धर्मकांटा के पास के सेदरिया पास, बाईपास, ब्यावर	श्री राजेश सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह	7023474424
28	फिटनेस जोन जिम	शांति टॉवर रूपबानी सिनेमा मार्ग, ब्यावर	श्री नितीन गांधी पुत्र श्री नृसिंह कुमार गांधी	9352917502
29	विक्रान्त रेस्टोरेन्ट	भगत चौराया ब्यावर	पालीराम/भगनीराम	
30	विक्रान्त होटल	भगत चौराया ब्यावर	[illegible]	[illegible]676328
31	जूपिटर रेस्टोरेंट	अजमेर रोड़, ब्यावर	[illegible]	[illegible]

Signature valid
Digitally signed by S[illegible]van Ram
Designation: Commissioner
Date: 2024.0[illegible] 06:02 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref [illegible]448318

Scanned with OKEN Scanner

2. सिनेमा घरों की सूची –

क.स.	सिनेमा घर का नाम मय पता	संचालक का नाम	मोबाईल नम्बर
1	[illegible] सिनेमा	[illegible] सिंह	9414789107
2	[illegible] सिनेमा	श्री [illegible]	9414003821

3. अग्नि शमन वाहन की सूची

क.स.	फायर वाहन संख्या	वाहन प्रकार
1	RJ-36-EA-0372	बडा फायर वाहन
2	RJ-36-EA-0014	बडा फायर वाहन
3	RJ-14-GP-8627	बडा फायर वाहन
4	RJ-14-GP-9257	बडा फायर वाहन
5	RJ-36-GA-0479	जीप

4. प्रशिक्षित अग्नि शमन कार्मिको की सूची –

क.स.	नाम कर्मचारी	पद
1	श्री लक्ष्मीनारायण भाटी	लिडिंग फायरमैन
2	श्री लक्ष्मीकान्त पारीक	लिडिंग फायरमैन
3	श्री रमेश सोलंकी	फायरमैन
4	श्री महेन्द्र सिंह	फायरमैन
5	श्री लखवेन्द्र सिंह	फायरमैन
6	श्रीमती सुमन देवी	फायरमैन
7	श्री बलराम सिह	फायरमैन
8	श्री ताराचन्द भट्ट	फायरमैन
9	श्री विक्की राठौड	फायरमैन
10	सुश्री प्रियका चौहान	फायरमैन
11	श्रीमती शिमला मीणा	फायरमैन
12	सुश्री जसोदा	फायरमैन
13	श्री ख्यालीराम यादव	फायरमैन
14	श्री अर्जुनलाल बंशीवाल	फायरमैन
15	श्री दीपक कुमार प्रजापति	फायरमैन
16	श्री ईशु यादव	फायरमैन
17	श्री विनोद कुमार	फायरमैन
18	श्री अभिषेक कुमावत	फायरमैन
19	श्री मनीष सैनी	फायरमैन
20	श्री अंकित यादव	फायरमैन
21	श्री राजेश कुमार डोगीवाल	फायरमैन
22	श्री कृष्ण कुमार गुर्जर	फायरमैन
23	श्री राहुल मीना	फायरमैन
24	श्री राहुल यादव	फायरमैन
25	श्री देवीलाल योगी	फायरमैन
26	श्री महेश यादव	फायरमैन
27	श्री महेन्द्र सिंह	[illegible] वाहन चालक
28	मो0 ईस्माईल	ड्राईवर वाहन [illegible]
29	श्री जीवराज बोयत	ड्राईवर वाहन [illegible]

Signature valid
RajKaj Ref [illegible]
Digitally signed by S[illegible]wan Ram
Designation: Com[illegible]sioner
Date: 2024.[illegible] 06:02 IST
Reason: Appro[illegible]

5. टेन्ट हाउस की सूची –

क्र.स.	नाम एवं पता विवाह समारोह स्थल / टेन्ट हाउस	संचालक का नाम	टेलीफोन / मोबाईल नम्बर
1	[illegible] टेन्ट	भवर जी	9214050726, 9252067854
2	श्री [illegible] टेन्ट	छगन जी	9829845415, 8107482815
3	[illegible] टेन्ट	बिरदा जी	9252129694, 9214559269
4	श्री दाधीच टेन्ट	श्याम दाधीच	9828459355, 01462-250215
5	श्री जगदम्बा टेन्ट	धर्मेन्द्र	9351257051, 8955575753
6	श्री राजधानी टेन्ट	मो. रफीक	9785272786, 9828653727
7	चिरंजीव टेन्ट	शिवलाल	9829977278
8	रामदेव टेन्ट	छगन	9351605889, 9214964249
9	सूरज टेन्ट	साजन	9829200429, 9929091121
10	आशा टेन्ट	दलपत मेवाडा	9887090436, 9214786583
11	मिलन टेन्ट	उदा भाई	9982618622, 9413762084
12	टाक टेन्ट	ईश्वर जी	9413286883, 01462–258983
13	राज टेन्ट	मो. हुसैन	9887740786, 01462–252786
14	गोविन्द टेन्ट	गोविन्द जी	9309432412, 9351260175
15	पंजाब टेन्ट	हरभजन सिंह	9829200429, 9929091121
16	आर.के. टेन्ट	रसूल काठात	9649703703, 9610771703
17	जगदम्बा टेन्ट	हरिसिंह रावत	8003365636, 9214525581
18	ज्योति टेन्ट	राजेन्द्र कुमार	9414355932, 9413867555
19	संगम टेन्ट	सुन्दर लाल टांक	9928189751, 9928043431
20	भवानी टेन्ट	रवी भाई	9269059842, 8696766373
21	ए.के. टेन्ट	सोहन	9983786887, 9549064030
22	फेमस टेन्ट	महेन्द्र	9828189001, 7742581506
23	राजस्थान टेन्ट	मुराद मन्सुरी	9214930249, 7737882508
24	रावत टेन्ट	हरिसिंह	9950191576, 9166911053
25	गंगा टेन्ट	अनिल	9252449831, 9252541031
26	गायत्री टेन्ट	अशोक जी	9214976235, 9587228433
27	शहनाज टेन्ट	शमसेर खां	9829339405, 8386995917
28	सैनिक टेन्ट	सुलेमान	9982806114, 9950788608
29	मेवाडा टेन्ट	असलम	9694674885, 9462187834
30	भरत टेन्ट	भारत	7737351269, 9024267025
31	वैभव टेन्ट	वासू भाई	9887057371, 9460993371
32	गणेश टेन्ट	गणेश	9413226611, 9890922631
33	जितेन्द्र टेन्ट	अशोक शर्मा	9352310094, 01462–255955
34	रावत (बैरवा) टेन्ट	फतहसिंह	9829840016, 9649847532
35	महादेव टेन्ट	मांगीलाल	9269007705, 9649825920

6. परामर्श सेवा प्रदाता / रंगमंच कला केन्द्रो की सूची – शून्य

7. धर्मशालाओं की सूची मय फोन नम्बर –

क्र.सं.	सामाजिक भवनो की सूची	पता	मोबाईल नं.	वार्ड नं.
1	गोड ब्रहामण भवन	बर्फ फैक्ट्री के पास अजमेर रोड ब्यावर		01
2	हंश काम्पलेक्स	अजमेर रोड ब्यावर		02
3	तंवर गार्डन	छावनी फाटक के पास ब्यावर		04
4	मालियान पंचायत भवन	छावनी ब्यावर	7878633694	04
5	सिन्धी धर्मशाला	छावनी ब्यावर		04
6	वस्त्र व्यापार चैरेटेबल ट्रस्ट	चम्पानगर मीरा मन्दिर के पास		05
7	गुरुद्वारा	रेलवे स्टेशन के पास ब्यावर	9928[illegible]55	07

Signature valid
RajKaj Ref 7448318
Digitally signed by [illegible]wan Ram
Designation: Commissioner
Date: 2024[illegible]06:02 IST
Reason: Approved

8	सेवा [illegible] राज धर्मशाला	रेलवे स्टेशन ब्यावर	9314284515	07
9	माहेश्वरी छात्रावास	[illegible] रोड ब्यावर	9829071505	09
10	सिन्धी धर्मशाला	[illegible] मौहल्ला ब्यावर	01462–256463	10
11	अग्रसेन भवन	नगर परिषद मार्ग ब्यावर	9414010622	11
12	[illegible] भवन	नगर परिषद मार्ग ब्यावर	7737529288	11
13	रेगरान पंचायत भवन	गोपाल जी मौहल्ला ब्यावर	9314560774	12
14	जैन पंचायत नसिया	बिजयनगर रोड ब्यावर		12
15	मेड़ क्षत्रीय पंचायत भवन	तेजा चौक ब्यावर		13
16	मारवाड़ी पंचायत नोहरा	अजमेरी गेट के पास ब्यावर	9461252199	14
17	बशी भवन	अजमेरी गेट के पास ब्यावर	7014843391	14
18	ओसवाल पंचायत भवन	खजाची गली, ब्यावर	9414379282	15
19	कुमावत पंचायत भवन	चुनपचान मौहल्ला ब्यावर		17
20	माहेश्वरी भवन	पलीयाजार ब्यावर	9829071505	17
21	हेमलानी धर्मशाला	चर्च रोड ब्यावर		17
22	रेगरान पंचायत भवन	राठी गार्डन के पास		18
23	सेन पंचायत भवन	शाहपुरा मौहल्ला ब्यावर	9829073974	19
24	मालियान पंचायत भवन	शाहपुरा मौहल्ला ब्यावर	9928661339	19
25	सोमनाथ मन्दिर	खन्ना कॉलोनी ब्यावर		21
26	जटिया समाज पंचायत भवन	जटिया कॉलोनी ब्यावर		21
27	कुमावत पंचयात भवन	कृष्णा कॉलोनी ब्यावर		25
28	चन्द जैन औषधालय	विनोद नगर ब्यावर		26
29	गुर्जर गौड छात्रावास	ब्रहामानन्द मार्ग ब्यावर	9414009622	26
30	श्री रेगरान पंचायत विनायक सभा भवन	रेगरान छोटा बास शाहपुरा मोहल्ला ब्यावर	9950189997	26
31	महावीर भवन	64–65 विनोद नगर ब्यावर	9414281764	26
32	श्री जैन दिवाकर भवन	मेवाडी गेट के पास ब्यावर	9460209105	26
33	दर्जीयान पंचायत भवन	रेगरान मौहल्ला, ब्यावर		26
34	पीपाडा भवन	सांई का तकिया गली ब्यावर		27
35	तेलियान पंचायत भवन	तेलियान मौहल्ला ब्यावर	9413646822	28
36	कुमावत पंचायत भवन	सुन्दर नगर ब्यावर	9252751223	29
37	प्रेम प्रकाश आश्रम	नन्द नगर ब्यावर		30
38	रेगरान पंचायत भवन	जमालपुरा ब्यावर		31
39	पी.जी. फोईलस	सेन्दडा रोड ब्यावर		34
40	काठात भवन	राठी गार्डन के पास ब्यावर		36
41	कुमावत भवन	कुमावत कॉलोनी फतेहपुरिया दोयम ब्यावर	9950562783	36
42	मालियान पंचायत भवन	सेन्दडा रोड ब्यावर	9214050720	38
43	विश्वकर्मा पंचायत भवन	प्रताप नगर गली नं.2 ब्यावर	8829977781	39
44	चंचल दास भेरू लाल धर्मशाला	प्रताप नगर ब्यावर		39
45	रांकावत भवन	कृष्णा कॉलोनी शिव मन्दिर ब्यावर	8233444050	40
46	मुक्ता मिश्री जैन भवन	परमेश्वर नगर, जवाहर भवन के पास	01462–255530 9828054770	44
47	जैन जवाहर मित्र मण्डल	जवाहर भवन विनोद नगर के पीछे ब्यावर	01462–257124	44
48	गोविन्दम भवन	विनोद नगर भोजपुरा [illegible] ब्यावर	9460791958	44
49	भैरू जी की बगीची	कृषि मण्डी के सामने, ब्यावर		
50	ओंकारेश्वर गार्डन	जैन गुरूकुल स्कूल के सामने ब्यावर		
51	बाकेश्वर मैरीज हॉल	चौहान कॉलोनी ब्यावर		50

Signature Valid
RajKaj Ref 7443318
Digitally signed by S[illegible]wai Ram
Designation: Commissioner
Date: 2024.0[illegible] 06:02 IST
Reason: Appro[illegible]

52	मालियान पंचायत भवन	सूरजपोल गेट के बाहर, ब्यावर	8619167270	50
53	साहू वाटिका	विजयनगर रोड ब्यावर	9829072494	50
54	फतेहपुरिया बगीची	अजमेर रोड सतपुलिया के पास ब्यावर	9214433622	54
55	दाधीच भवन	देलवाड़ा रोड ब्यावर	9414867222	58
56	यादव भवन	देलवाड़ा रोड ब्यावर		58

8. विवाह स्थलों की सूची मय फोन नम्बर –

क्र. सं.	विवाह स्थल का नाम	पता	संचालक का नाम	मो.नं.
1	पी पी एस पेराडाइस	नृसिंहपुरा, अजमेर रोड	श्री हरीजीत सिंह / परमेन्द सिंह व सतवन्त कौर / परमेन्द सिंह	9462522129
2	कौशल्या गार्डन	अजमेर रोड	श्रीमती चन्द्रावती गर्ग	01462 226569, 9414009569
3	बृजधन्दा गार्डन	अजमेर रोड	श्री मोहनलाल / चांदमल	9214009141
4	केशव नैन गार्डन	गायत्री नगर, अजमेर रोड	श्री ओमप्रकाश गर्ग / श्यामसुन्दर	9414009144
5	अमर कुँज गार्डन	आदर्श नगर, अजमेर रोड	श्री बालूराम बोदूराम c/o श्री धनप्रकाश सिंहल	9829547527
6	द्वारकाधीश गार्डन	अजमेर रोड, सतपुलिया के पास	श्री कालूराम / पन्नालाल वगैरहा	9214310566
7	केसरी नंदन गार्डन	देलवाडा रोड, सतपुलिया तिराहा	श्री भंवरलाल / जग्गु गहलोत	8104797076, 9252171198
8	राधा कुँज गार्डन	चित्रकुट कॉलोनी, देलवाडा रोड	श्री शंकरसिंह यादव / वेगराज	9414010573
9	लक्ष्मीनयन गार्डन	मसूदा रोड	श्री देवेन्द्रसिंह / देवीलाल यादव	9414668891, 7737247151
10	उत्सव वाटिका	कृष्ण नगर मसूदा रोड	श्री अजय शर्मा / केदार प्रसाद	9413041395, 9829173535
11	प्रभु की बगियां	मसूदा रोड, पुराना चुंगी नाका के पास	श्री मोहनलाल / प्रभुलाल बगदी	9414008997
12	गहलोत मैरिज गार्डन	नसियां मार्ग, विजयनगर रोड	श्री घीसूलाल / खुमा गहलोत	9783469398
13	गोकुलम गार्डन	राठी मैंशन, शाहपुरा मोहल्ला	श्री प्रदीप कुमार / गोकुलदास	8769068915
14	सूरज भवन मैरिज गार्डन	सब्जी मण्डी के पास, मेवाडी गेट के बाहर	श्री उत्तमचंद	

Signature valid
RajKaj Ref 7448318
Digitally signed by S...van Ram
Designation: Commissioner
Date: 2024.0... 06:02 IST
Reason: Appro...

15	शिव बाड़ी	मेवाड़ी गेट [illegible]	श्रीमती कमला देवी / रामनिवास	94606612781
16	[illegible] गार्डन	[illegible] [illegible] रोड	श्रीमती पदमा देवी / नेमीचन्द	9413693659
17	न्यू वृन्दावन गार्डन	आशापुरा माता मन्दिर	श्री पुखराज साहू / धन्नालाल	9828649433
18	रांकाजी की बगीची	मेवाड़ी गेट के बाहर	श्री धनराज रांका / नेमीचन्द रांका	9828038081
19	गणेशम विवाह स्थल	मेवाडी गेट बाहर	श्री ज्ञानचंद जैन / नथमल नाबेडा वगैरहा	9829070202, 9352411110
20	बोहरा गार्डन	ब्रह्मानंद रोड	श्री ज्ञानचंद बोहरा / प्रेमराज	9414008932
21	कार्तिक ओम सत्यम गार्डन	कॉलेज रोड	श्री अनिल आर्य / आमेप्रकाश व श्रीमती सत्यवती / ओमप्रकाश आर्य	9414009939
22	होटल सूर्य महल	सेन्दडा रोड	श्री गजानन्द बजाज / देवीलाल	9829072160
23	होटल राजमहल	जोधपुर रोड	श्री राजसाहू / रमेश कुमार	9829073756
24	अशोक पैलेस	सेन्दडा रोड़	श्री दिलीप कुमार, सतीश कुमार, नरेश कुमार / अशोक कुमार मदानी	9950562976
25	एच.एल.पैलेस	चॉग चितार रोड़	श्री जसदीप पंजाबी / गुरुबच्चनसिंह	7703708808
26	लॉज हवेली	मिलरोड़ रेल्वे फाटक के पास	श्री गरूबच्चनसिंह / हवेलीराम	9314402909
27	रंगजी की बगीची	मेवाडी गेट बाहर कडीवालान मार्ग	श्री विवेक जैन / रतनलाल जैन	9828172845, 9414000701

9. मास्क/पोप सीरिज और मेडिकल कचरे के लिए कचरे पात्र की सूची :— उक्त कचरे का निस्तारण आज दिनांक में अस्पताल स्तर से किया जाता है।

भवदीय

आयुक्त
नगर परिषद ब्यावर

Signature valid

RajKaj Ref
7448318

Digitally signed by S[illegible]wan Ram
Designation: Comm[illegible]sioner
Date: 2024.[illegible]06:02 IST
Reason: Appro[illegible]

पशुपालन विभाग ,ब्यावर में पद स्थापित पशु चिकित्साधिकारियों की सूची

क्र.स	नाम	पद नाम	पद स्थापन	मोबाइल नंबर	ब्लॉक
1	डॉ. गौतम नथुराम गायकवाड	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय , ब्यावर	9829678965	ब्यावर/जवाजा
2	डॉ. शौबिर सिंह	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस ,जवाजा	9828634058	ब्यावर/जवाजा
3	डॉ. विश्वास कुमार	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, कोटड़ा	9460179491	ब्यावर/जवाजा
4	डॉ.रेणु जाट	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,किशनपुरा	9772976797	ब्यावर/जवाजा
5	डॉ.भूपेंद्र सिंह चौधरी	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,शिखराणी	9799841049	मसूदा
6	डॉ.महेंद्र गुप्ता	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, विजयनगर	9829796759	मसूदा
7	डॉ. प्रदीप गायकवाड	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस ,बदनोर	9414573596	बदनोर
8	डॉ.चंद्र प्रकाश हिंडोनिया	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,मोटरास	9509707741	बदनोर
9	डॉ. अनोप सिंह खिड़िया	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, जैतारण	9414713828	जैतारण
10	डॉ.राहुल कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,देवीटिया	7014015300	जैतारण
11	डॉ.दिनेश गर्वा	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,निमाज	8432081466	जैतारण
12	डॉ. पिंकी	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,बेड़कला	9950401458	जैतारण
13	डॉ. योगेश कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,निंबोल	9413783813	जैतारण
14	डॉ.दिनेश कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,पाटवा	9929578555	जैतारण
15	डॉ.कमल किशोर	पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, रायपुर	9783705237	रायपुर
16	डॉ.संदीप शर्मा	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बिराटिया कलां	9462878820	रायपुर
17	डॉ.थाना राम चौधरी	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,पिपलिया कलां	9414382874	रायपुर
18	डॉ.अजयपाल सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,देवली कलां	9983147272	रायपुर
19	डॉ.दीपक सिंह नरूका	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,झूंठा	8003478720	रायपुर
20	डॉ.रिंकू	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,लिलाम्बा	9057859986	रायपुर
21	डॉ.अक्षिता मालव	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,कुशालपुरा	7688822502	रायपुर
22	डॉ.संजय कुमार प्रधान	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,गिरी	9001630775	रायपुर
23	डॉ.मुकेश कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,सुमेल	9887356639	रायपुर
24	डॉ.अजय	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,सेंदड़ा	6377519566	रायपुर
25	डॉ.हेमंत रूहेला	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,बाबरा	9929394215	रायपुर
26	डॉ.जसवंत सिंह	वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आनंदपुर कालू	9413202158	आनंदपुर कालू
27	डॉ.संजय चौधरी	पशु चिकित्साधिकारी	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, रास	9414414253	आनंदपुर कालू
28	डॉ.संदीप चौधरी	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,सेवरिया	9694509898	आनंदपुर कालू
29	डॉ.राजीव राठी	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,बलारा	8118816727	आनंदपुर कालू
30	डॉ.योगेश शर्मा	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,टूकड़ा	9024749774	आनंदपुर कालू
31	डॉ.प्रदीप माकोरा	पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय ,लाम्बिया	9024127265	आनंदपुर कालू

पशुपालन विभाग ,ब्यावर के पशु चिकित्सालय की सूची

क्र.स	संस्था का नाम	ब्लॉक
1	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय , ब्यावर	ब्यावर/जवाजा
2	ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस ,जवाजा	ब्यावर/जवाजा
3	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, कोटड़ा	ब्यावर/जवाजा
4	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, टाटगढ़	ब्यावर/जवाजा
5	मोबाईल वेटनरी यूनिट,ब्यावर	ब्यावर/जवाजा
6	पशु चिकित्सालय,बराखन	ब्यावर/जवाजा
7	पशु चिकित्सालय,बड़ाखेड़ा	ब्यावर/जवाजा
8	पशु चिकित्सालय,छावनी ब्यावर	ब्यावर/जवाजा
9	पशु चिकित्सालय,किशनपुरा	ब्यावर/जवाजा
10	पशु चिकित्सालय,राजियावास	ब्यावर/जवाजा
11	पशु चिकित्सालय,फ़तहगढ़ सल्ला	ब्यावर/जवाजा
12	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,मेडिया	ब्यावर/जवाजा
13	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,पुवड़िया	ब्यावर/जवाजा
14	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सूरजपुरा	ब्यावर/जवाजा
15	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सुहावा	ब्यावर/जवाजा
16	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,नूंदरी मालदेव	ब्यावर/जवाजा
17	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बजारी	ब्यावर/जवाजा
18	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सरमालिया	ब्यावर/जवाजा
19	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बामनहेडा	ब्यावर/जवाजा
20	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,देवाता	ब्यावर/जवाजा
21	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,ब्यावरखास	ब्यावर/जवाजा
22	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,तारागढ़	ब्यावर/जवाजा
23	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बड़कोचरा	ब्यावर/जवाजा
24	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,लोटियाना	ब्यावर/जवाजा
25	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,गोहाना	ब्यावर/जवाजा
26	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बाघमाल	ब्यावर/जवाजा
27	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,दौलतगढ़ सिंगा	ब्यावर/जवाजा
28	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,अतीतमंड	ब्यावर/जवाजा
29	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बलाड	ब्यावर/जवाजा
30	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सरवीना	ब्यावर/जवाजा
31	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,नूंदरी मेन्द्रतान	ब्यावर/जवाजा
32	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सुरडिया	ब्यावर/जवाजा
33	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र ,रावतमाल	ब्यावर/जवाजा
34	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र ,देलवाड़ा	बदनोर
35	ब्लाक वेटनरी हेल्थ ऑफिस ,बदनोर	बदनोर
36	पशु चिकित्सालय,पाटन	बदनोर
37	पशु चिकित्सालय,मोटरास	बदनोर
38	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रामपुरा	बदनोर
39	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,भोजपुरा	बदनोर
40	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सुराज	बदनोर
41	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,भादसी	बदनोर
42	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,जैतगढ़	बदनोर
43	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,संग्रामगढ़	बदनोर
44	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,चतरपुरा	बदनोर
45	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,जगपुरा	मसूदा
46	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय,विजयनगर	मसूदा
47	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय,मसूदा	मसूदा
48	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय,खरवा	मसूदा

49	पशु चिकित्सालय,शिखरनी	मसुदा
50	पशु चिकित्सालय,केलु	मसुदा
51	पशु चिकित्सालय,नंदवारा	मसुदा
52	पशु चिकित्सालय,दौलतपुरा प्रथम	मसुदा
53	पशु चिकित्सालय,जालिया 2	मसुदा
54	पशु चिकित्सालय,देवास	मसुदा
55	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बेगलियावास	मसुदा
56	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बालोता का बाडिया	मसुदा
57	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,देवमाली	मसुदा
58	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,जामोला	मसुदा
59	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,शेरगढ	मसुदा
60	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,श्यामगढ	मसुदा
61	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बराल 2	मसुदा
62	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रामपुरा देवपुरा	मसुदा
63	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,खीमपुरा	मसुदा
64	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बारी	मसुदा
65	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,हनुतिया	मसुदा
66	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,दौलतपुरा दितीय	मसुदा
67	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रामगढ	मसुदा
68	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,हरराजपुरा	मसुदा
69	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,लूलवा	मसुदा
70	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,उत्तमी	मसुदा
71	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रावला बाडिया	मसुदा
72	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,लोडियाना	मसुदा
73	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, जैतारण	जैतारण
74	पशु चिकित्सालय ,देवीटिया	जैतारण
75	पशु चिकित्सालय ,निमाज	जैतारण
76	पशु चिकित्सालय ,बेड़कला	जैतारण
77	पशु चिकित्सालय ,निबोल	जैतारण
78	पशु चिकित्सालय ,पाटवा	जैतारण
79	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बिरोल	जैतारण
80	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,लोटोती	जैतारण
81	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रामावास खुर्द	जैतारण
82	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,गरिनिया	जैतारण
83	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रानीवाल	जैतारण
84	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,आगेवा	जैतारण
85	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सांगावास	जैतारण
86	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,मोहराई	जैतारण
87	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,चावंडीया कलां	जैतारण
88	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,आसरलाई	जैतारण
89	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,पिपलिया खुर्द	जैतारण
90	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,भासनी	जैतारण
91	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,फूलमाल	जैतारण
92	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, रायपुर	रायपुर
93	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बिराटिया कलां	रायपुर
94	पशु चिकित्सालय ,पिपलिया कलां	रायपुर
95	पशु चिकित्सालय ,देवली कलां	रायपुर
96	पशु चिकित्सालय ,झुंठा	रायपुर
97	पशु चिकित्सालय ,लिलाम्बा	रायपुर
98	पशु चिकित्सालय ,कुशालपुरा	रायपुर

99	पशु चिकित्सालय ,गिरी	रायपुर
100	पशु चिकित्सालय ,सुमेल	रायपुर
101	पशु चिकित्सालय ,सैंदड़ा	रायपुर
102	पशु चिकित्सालय ,बाबरा	रायपुर
103	पशु चिकित्सालय ,बासनी दधवाडियान	रायपुर
104	पशु चिकित्सालय ,कानूजा	रायपुर
105	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सबलपुरा	रायपुर
106	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,पचानपुरा	रायपुर
107	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,कोट किराना	रायपुर
108	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बर	रायपुर
109	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,सिंगला	रायपुर
110	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रामगढ़ सेठोतान	रायपुर
111	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,तलाई चोराया	रायपुर
112	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,चिताड़	रायपुर
113	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बिराटिया खुर्द	रायपुर
114	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,नांदना	रायपुर
115	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,हाजीवास	रायपुर
116	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,रातडिया	रायपुर
117	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बूटिवास	रायपुर
118	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, आनंदपुर कालू	आनंदपुर कालू
119	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, रास	आनंदपुर कालू
120	पशु चिकित्सालय ,सेवरिया	आनंदपुर कालू
121	पशु चिकित्सालय ,बलारा	आनंदपुर कालू
122	पशु चिकित्सालय ,टुकड़ा	आनंदपुर कालू
123	पशु चिकित्सालय ,लाम्बिया	आनंदपुर कालू
124	पशु चिकित्सालय,खर्चिया	आनंदपुर कालू
125	पशु चिकित्सालय,फालका	आनंदपुर कालू
126	पशु चिकित्सालय,दिगेवने	आनंदपुर कालू
127	पशु चिकित्सालय,बल्न्न्दे	आनंदपुर कालू
128	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,केकिन्दडा	आनंदपुर कालू
129	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बक्तावरपुरा	आनंदपुर कालू
130	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,कुडकी	आनंदपुर कालू
131	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,राबड़ीयावास	आनंदपुर कालू
132	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,बान्झाकुडी	आनंदपुर कालू
133	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,काणेचा	आनंदपुर कालू
134	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र,खराड़ी	आनंदपुर कालू

कार्यालय अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0 वृत्त ब्यावर

छावनी रोड़ ब्यावर क्लब के पास जिला ब्यावर
Email :-sepwdbwr@gmail.com Ph.No.01462-259201

क्रमांक 166 दिनांक– 31-05-24

श्रीमान् जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
ब्यावर

विषय :–जिला स्तरीय बाढ प्रबंधन योजना हेतु सूचना भिजवाने के क्रम में।
संदर्भ :–आपका पत्रांक 248–60 दिनांक 21.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि आप द्वारा बाढ प्रबंधन योजना हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत/पंजीकृत संवेदको के पास वाहनों की सूची मांगी गई थी जो कि निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

क्र.स.	संवेदक/फर्म का नाम	संवेदक का मो0न0	वाहन का प्रकार (जे.सी.बी. /डम्पर/जीप/पोकलेन आदि)	उपलब्ध वाहनो की संख्या
1	मै0 रविन्द्रजीतसिंह ब्यावर	9414009164	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	5 2 2
2	मै0 महेन्द्र कुमार अग्रवाल ब्यावर	9829009585	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	2 1 1
3	मै0जय अम्बे कंस्ट्रक्शन जैतारण	9660465988	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	1 1 2
4	श्री राम कंस्ट्रक्शन ब्यावर	9414009453	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	2 1 1

भवदीय

(अशोक कुमार तँवर)
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त ब्यावर

Submit by E-Sign

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि0 खण्ड ब्यावर

छावनी रोड़ ब्यावर क्लब के पास जिला ब्यावर

Ph.No.01462-259201

Email :-eepwdbwr@gmail.com

क्रमांक 590 दिनांक 27/05/24

अधीक्षण अभियंता
सा0नि0वि0 वृत्त
ब्यावर

विषय :-जिला स्तरीय बाढ़ प्रबन्धन योजना हेतु सूचना भिजवाने बाबत ।
संदर्भ- आपका पत्रांक राजकाज रेफरेन्स 7404509 दिनांक 24.0.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला स्तरीय बाढ प्रबन्धन योजना हेतु सचना भिजवाने बाबत आप द्वारा प्रेषित प्रपत्र में इस खण्ड की सूचना निम्नानुसार है-

क0सं0	संवेदक /फर्म का नाम	संवेदक का मो0 नं0	वाहन का प्रकार(जे0सी0बी0/डम्पर/जीप/पोकलेन आदि)	उपलब्ध वाहनों की संख्या
1	मैसर्स सविन्द्रजीतसिंह ब्यावर	9414009164	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	5 2 2
2	मैसर्स महेन्द्र कुमार अग्रवाल ब्यावर	9829009585	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	2 1 1
3	मैसर्स लाल चन्द मेहरा ब्यावर	9413041004	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	0 1 1
4	मैसर्स जय अम्बे कंस्ट्रक्शन जैतारण	9660465988	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	1 1 1
5	श्रीराम कंस्ट्रक्शन ब्यावर	9414009153	डम्पर जे0सी0बी0 ट्रेक्टर	2 1 1

भवदीय

(वी0एस0शेखावत)
अधिशाषी अभियंता

RajKaj Ref
7611520

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by [illegible] Singh Shekhawat
Designation : [illegible]ive Engineer
Date: 2024.05.2[illegible] 6:39:47 IST
Reason: Approved

File No.24 बाढ

जल संसाधन विभाग जिला ब्यावर
फ्लड कन्टीजेन्सी प्लान 2024

01. प्रस्तावना :– जिला ब्यावर में वर्तमान में चार खण्डो के अधीन है। जिनके चार जल संसाधन उपखण्ड कार्यरत है, जिनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार है :–

जल संसाधन खण्ड प्रथम, अजमेर के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार है

उपखण्ड कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
1. जल संसाधन उपखण्ड बान्दनवाडा (तहसील–मसूदा)	श्री सुरेन्द्र गुर्जर	मो0 94610–45107

जल संसाधन खण्ड द्वितीय, अजमेर के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार है :–

उपखण्ड कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
1.जल संसाधन उपखण्ड ब्यावर (तहसील–ब्यावर)	सुश्री नन्दिनी जोशी	मो0 96605–93749

जल संसाधन खण्ड पाली के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार है :–

उपखण्ड कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
1 जल संसाधन उपखण्ड जैतारण (तहसील–रायपुर, जैतारण)	श्री राघव सोनी	मो0 95653–67418

जल संसाधन खण्ड, भीलवाडा के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड, आसीन्द कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार है

उपखण्ड कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
1.जल संसाधन उपखण्ड आसीन्द (तहसील–बदनोर)	श्री दिनेश चन्द वर्मा	मो0 98027–90911

जिला ब्यावर के प्रमुख बांध :–ब्यावर जिले में जल संसाधन विभाग के चार खण्डो 4 उपखण्ड कार्यरत है। जिसमें जल संसाधन खण्ड प्रथम, अजमेर के अधीन पंचायत समिति मसूदा, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, अजमेर के अधीन पंचायत समिति जवाजा, जल संसाधन खण्ड भीलवाडा के अधीन पंचायत समिति आसीन्द व जल संसाधन खण्ड पाली के अधीन पंचायत समिति जैतारण, रायपुर संबंधित कार्य है। इन उपखण्डों के अधीन वर्तमान में 3 मध्यम सिंचाई परियोजना जिनका सी.सी.ए. 9042.15 हैक्टर एवं 12 लघु सिंचाई परियोजनाएं जिनका सी.सी.ए. 8918.92 हैक्टर है। उक्त बांधो / तालाबों में 10 तालाबों की भराव क्षमता 100 एमसीएफटी से अधिक है।

02. मध्यम श्रेणी के बांध

जल संसाधन उपखण्ड ब्यावर में फूलसागर जालिया–II सिंचाई परियोजनाः– यह बांध जालिया ग्राम प्रथम के समीप स्थित है। जिसकी जल भराव क्षमता 333.76 एमसीएफटी तथा पूर्ण भराव गेज 10 फीट है। बांध सुरक्षित स्थिति में है।

जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण में लूणी मध्यम सिंचाई परियोजनाः– जिसकी जल भराव क्षमता 325.56 एमसीएफटी है। बांध सुरक्षित स्थिति में है।

जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा में नारायण सागर बांध मध्यम सिंचाई परियोजनाः– जिसकी जल भराव क्षमता 704.00 एमसीएफटी तथा पूर्ण भराव गेज 16 फीट है। बांध सुरक्षित स्थिति में है।

03. फ्लड प्रभावित बांधो / तालाबों की सूचना :–विगत वर्षो के रिकॉर्ड के आधार पर इस खण्ड के कार्यक्षेत्र के बांधों व तालाबों के पूर्ण भराव होकर ओवर फ्लो होने की स्थिति में कोई आबादी क्षेत्र जलमग्न नहीं होता है।

04. नाव की उपलब्धता :– इस जिले के अधीन कोई नाव नहीं है।

05. पम्पस की उपलब्धता :– इस जिले के अधीन कोई पम्पस उपलब्ध नहीं है।

06. वायरलैस सेट :– इस खण्ड के अधीन कोई वायरलैस सेट नहीं है।

07. दैनिक वर्षा व बांधों के गेज प्रेषित करना :–इस खण्ड के अधीन 100 एमसीएफटी के 10 बांध/ तालाब है। जिनकी दैनिक गेज की सूचना प्रेषित की जावेगी व वर्षा की सूचना भी विभाग के फ्लड सेल अजमेर/पाली/भीलवाडा में प्रेषित की जायेगी।

ई–मेल floodcell.wr@gmail.com जो चीफ इंजीनियर SWRPD के अधीन है। जिनके मोबाईल व ई–मेल निम्न है :– मो0 94140–77747, 98285–60808, ई–मेल ceswrpd10@rediffmail.com

08. सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं की सूची :– इस जिले के अधीनस्थ कार्यरत सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के नाम मुख्यालय उपलब्ध टेलीफोन नं. संलग्न सूची में अंकित है। (Annexure-I)

09. बाढ प्रभावित क्षेत्र की सूचना :– ब्यावर जिले की औसत वर्षा 520 मी.मी. है। पिछले अनुभव के आधार पर इस जिले के कार्यक्षेत्र में मानसून अवधि में वर्षा के कारण कोई आबादी क्षेत्र जलमग्न नही हुआ।

10. मानसून अवधि में बाढ नियंत्रण कार्य हेतु व्यवस्था :–मानसून के दौरान सभी सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य स्टाफ को मुख्यालय बिना पूर्व अनुमति के नही छोडने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। सभी सहायक अभियन्ता अपने मुख्यालय से संबंधित स्थानीय प्रशासन (उपखण्ड अधिकारी) से बराबर सम्पर्क बनाये रखेंगे। मानसून से पूर्व सभी बांधो/तालाबों का वर्षा पूर्व निरीक्षण किया जा चुका है एवं गेटों का आईलिंग ग्रीसिंग कर लिया जायेगा। श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्यावर के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित बांधों पर कमियों मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। संलग्न सूची (परिशिष्ट ब) के अनुसार विभिन्न स्थानों पर सीमेन्ट के खाली कट्टे रखे जायेंगे। अन्य लघु सिंचाई के बांधों पर भी आवश्यकतानुसार खाली कट्टे रखे जा रहे है। जिसके लिये निविदाएं आमंत्रित कर संबंधित संवेदक को उपरोक्त सामग्री कार्यस्थलों पर उपलब्ध कराने के लिये कार्यादेश जारी किये जाएगें।

Index

S.No.	Annexure	Particular
1	Annexure-I	कार्यरत अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ताओं की
2	Annexure-II	उपखण्डवार खाली कट्टो की सूचना
3	Annxure-III	रेनगेज स्टेशन का विवरण
4	Annxure-IV	तालाबों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित क्षेत्रो का विवरण
5	Annxure-V	आपदा के समय सुरक्षित स्थानों का विवरण
6	Annxure-VI	रेनगेज की सूचना देने वाले कार्मिको की सूची
7	Annxure-VII	10 वर्षों का रेनफाल डाटा
8	Annxure-VIII	अतिवृष्टि की स्थिति में सूचना बोर्ड की सूची
9	Annxure-IX	पंचायत राज को स्थानान्तरित तालाबों का विवरण
10	Annxure-X	बाधों के संक्षिप्त तकनिकी डाटा
11	Annxure-XI	उपखण्डवार अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची
12	Annxure-XII	वर्षाऋतु से पूर्व जल स्तर की सूची
13	Annxure-XIII	उपलब्ध मशीनरी की सूची
14	Annxure-XIV	रूट चार्ट ऑफ उपखण्डवार

Annexure-I

सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं की उपखण्डवार सूचना निम्नानुसार है

सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के उपखण्ड वार कार्यक्षेत्र

01. सुश्री नन्दिनी जोशी	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	96605–93749
02. श्री राघव सोनी	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड जैतारण	95653–67418
03. श्री सुरेन्द्र गुर्जर	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड बान्दनवाडा	94610–45007
04. श्री दिनेश चन्द वर्मा	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड आसीन्द	98027–90911
05. श्री पृथ्वीराज	कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	85598–97671
06. श्री गिरधारी लाल	कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	84327–83928
07. श्री नवरतन	कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण	99838–00599
08. श्री सुरेश सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा अनुभाग मसूदा	80790–03545
09. श्री संदीप कुमार सैनी	कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, आसीन्द	77372–14108
10. श्री देवेन्द्र कुमार बागडी	कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, आसीन्द	81078–87701

Annexure-II

खाली कट्टो की सूची

सुची खाली कट्टे सीमेन्ट की व्यवस्था	खाली सीमेन्ट कट्टे
01. जल संसाधन उपखण्ड़ ब्यावर	
01. फूलसागर जालिया	300
02. कालीकांकर	300
03. काबरा	300
04. मकरेडा	300
05. देलवाडा	300
06. जवाजा	300
07. राजियावास	300
08. बलाड	300
09. शेरो का बाला	300
02. जल संसाधन उपखण्ड़ जैतारण	
01. रायपुर लुनी बांध	100
02. गिरीनन्दा बांध	100
03. बाबरा बांध	100
04. जैतारण कार्यालय	100
05. जल संसाधन उपखण्ड़ बान्दनवाडा	
01. नारायण सागर व लोहडी बांध	1000
06. जल संसाधन उपखण्ड़ आसीन्द	
01. देव सागर बांध, पाटन बदनोर	300
योग	4400

Annexure-III

रैनगेज स्टेशनो का विवरण

जल संसाधन विभाग के रैनगेज स्टेशन

क्र. सं.	तहसील	रैनगेज स्टेशन का नाम	उपखण्ड का नाम	सूचना देने वाले का कार्यकारी का नाम व मोबाईल नं0
1	ब्यावर	कार्यालय सहायक अभियन्ता परिसर	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी 97996-02154
2	ब्यावर	ब्यावर तहसील	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी 97996-02154
3	ब्यावर	पुलिस थाना, टाडगढ	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	थाना कर्मचारी
4	ब्यावर	पुलिस थाना, जवाजा	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	थाना कर्मचारी
5	जैतारण	कार्यालय परिसर, जैतारण	जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता 99838-00599
6	जैतारण	रायपुर बांध	जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण	श्री कान सिंह, चौकीदार 88529-58008
7	बदनोर	देव सागर बांध	जल संसाधन उपखण्ड, आसीन्द	श्री दिनेश चन्द वर्मा, कनिष्ठ अभियंता 98027-90911
8	मसुदा	नारायण सागर जालिया ॥, शैल्टर हाउस	जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा	श्री सुरेश सिंह, कनिष्ठ अभियंता 80790-03545
9	मसुदा	पुलिस थाना मसूदा	जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा	थाना कर्मचारी
10	बिजयनगर	पुलिस थाना बिजयनगर	जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा	थाना कर्मचारी

Annexure-IV

इस जिले के अधीन तालाबों के पूरा भरने पर क्षतिग्रस्त होने पर जो क्षेत्र प्रभावित होंगे उनका विवरण निम्नानुसार है :–

सं.	बांध/तालाब का नाम	तहसील	प्रभावित ग्राम	बांध पर नियुक्त कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	फूलसागर जालिया	ब्यावर	जालिया प्रथम, ब्यावर शहर, खेजडला, पुराना शहर	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
2	कालीकांकर	ब्यावर	काली कांकर, हिम्मतपुरा, किशनगढ़	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
3	काबरा	ब्यावर	ऊँटों का वाणिया, चवली, धौलादांता	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
4	मकरेडा	ब्यावर	पुराना ब्यावर, गोपालपुरा	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
5	देलवाडा	ब्यावर	नरसिंहपुरा, ब्यावर, मकरेडा, दौलतपुरा	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
6	जवाजा	ब्यावर	केला की नाडी, रूपाणा बरल	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
7	राजियावास	ब्यावर	धनार, कालीजंर, भैरूखेडा, धोलादांता	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
8	पुराना/नया तालाब बलाड़	ब्यावर	गठी, जोधा का बाडिया, बलाड, ब्यावर	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
9	शेरो का बाला टैंक	ब्यावर	तारागढ, शेरो का बाला	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
10	नारायण सागर जालिया II	मसुदा	जालिया द्वितीय, बिजयनगर, आसन	मुनीराज वैष्णव (खारी नहर) जगदीश जाट (खुटिया नहर)	9828792072 784993462
11	लौहडी बांध	मसुदा	लोरडी, जौरावरपुरा, जयसिंहपुरा	जगदीश जाट	9568626219
12	देव सागर	बदनोर	पाटन, गारीयाखेडा, लाम्बा, मोर्टरास, ओझियाना,	संदीप सैनी	7737214108
13	रायपुर लूणी बांध	रायपुर	रायपुर, झुठा, कुशालपुरा, निम्बेडा, चावण्डिया	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	9983800599
14	गिरीनन्दा	जैतारण	गिरी, खेडा मामावास, मेसिया	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	9983800599
15	बाबरा	जैतारण	बाबरा, देवगढ, रास	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	9983800599

Annexure-V

अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण व्यक्तियों को निकटस्थ सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने हेतु स्थलों की सूची

सं.	बांध / तालाब का नाम	तहसील	प्रभावित ग्राम	सुरक्षित स्थान (स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन एवं अन्य)
1	फूलसागर जालिया	ब्यावर	जालिया प्रथम, ब्यावर शहर, खेजडला, पुराना शहर, शिवनाथपुरा, फतेहपुरिया	पंचायत भवन, खेजडला मिडिल स्कूल
2	काली कंकर	ब्यावर	काली कांकर, हिम्मतपुरा, किशनगढ़	राजकीय स्कूल कालीकांकर
3	काबरा	ब्यावर	ऊँटों का वाणिया, चवली, धौलादांता	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन काबरा
4	मकरेडा	ब्यावर	पुराना ब्यावर, गोपालपुरा	राजकीय स्कूल मकरेडा
5	देलवाडा	ब्यावर	नरसिंहपुरा, ब्यावर, मकरेडा, दौलतपुरा	पंचायत भवन, राजकीय स्कूल देलवाडा
6	जवाजा	ब्यावर	केला की नाडी, रूपाणा बरल	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन जवाजा
7	राजियावास	ब्यावर	धनार, कालीजंर, भैरूखेडा, धोलादांता	राजकीय स्कूल राजियावास
8	बलाड़ टैंक	ब्यावर	गठी, जोधा का बाडिया, बलाड, ब्यावर	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन बलाड
9	शेरो का बाला	ब्यावर	तारागढ, शेरो का बाला	पंचायत भवन तारागढ
10	नारायण सागर जालिया II	मसुदा	जालिया द्वितीय, बिजयनगर, आसन	राजकीय स्कूल, जालिया द्वितीय
11	लौरडी बांध	मसुदा	लोरडी, जौरावरपुरा, जयसिंहपुरा	राजकीय स्कूल, लोरडी
12	देव सागर	बदनोर	पाटन, गारीयाखेडा, लाम्बा, मोर्टरास, ओझियाना,	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, पाटन,
13	रायपुर लूणी बांध	रायपुर	रायपुर, झुठा, कुशालपुरा, निम्बेडा, चावण्डिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, रायपुर
14	गिरीनन्दा	रायपुर	गिरी, खेडा मामावास, मेसिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, गिरी
15	बाबरा	रायपुर	बाबरा, देवगढ, रास	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, देवगढ

Annexure-VI

रेनगेज की सूचना देने वाले कार्मिको की सूची

क्र0 सं0	वर्षा/गेज की सूचना देने वाले का नाम	वर्षा केन्द्र/कार्यक्षेत्र	गेज	मोबाईल नं0
1	श्री नरेन्द्र, सहायक कर्मचारी उपखण्ड, ब्यावर	ब्यावर तहसील, ब्यावर सिंचाई, टाटगढ़, जवाजा	फूलसागर जालिया, राजियावास, मकरेडा, देलवाड़ा, कालीकांकर, काबरा, शेरा का बाला, जवाजा, पुराना तालाब बलाड़	97996-02154
2	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	कार्यालय परिसर, जैतारण	गिरीनन्दा, बाबरा	99636-00599
3	श्री कान सिंह, चौकीदार	रायपुर बांध	रायपुर लूणी बांध	88529-56006
4	श्री दिनेश चन्द वर्मा, कनिष्ठ अभियंता	देव सागर बांध	देवसागर बांध	98027-90911
5	श्री सुरेश सिंह, कनिष्ठ अभियंता	नारायण सागर जालिया II, शैल्टर हाउस	लोरडी बांध, नारायण सागर जालिया द्वितीय	80790-03545
6	थाना कर्मचारी	पुलिस थाना मसूदा	रेनफॉल डाटा	8764852920
7	थाना कर्मचारी	पुलिस थाना बिजयनगर	रेनफॉल डाटा	8003150091

Annexure-VII

Last 10 year Rainfall Data of Beawar District

S. No.	Year	Rainfall in mm
1	2014	780.00
2	2015	381.00
3	2016	567.00
4	2017	811.00
5	2018	721.00
6	2019	865.00
7	2020	412.00
8	2021	465.00
9	2022	601.00
10	2023	820.00

Annexure-VIII

अतिवृष्टि होने से बाँधों में ओवर फ्लो की स्थिति में सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बंद किए जाने हेतु आवश्यक बोर्ड निम्नानुसार लगाये जाने प्रस्तावित है :—

क्र.स.	बांध / तालाब का नाम	तहसील	स्थान जहां बोर्ड लगाये जाने है	बोर्डो की संख्या
1	फूलसागर जालिया	ब्यावर	जालिया	1
2	मकरेडा	ब्यावर	मकरेडा	1
3	जवाजा	ब्यावर	जवाजा	1
4	राजियावास	ब्यावर	राजियावास	1

Annexure-IX

पंचायत समिति को हस्तान्तरित तालाब

S No	Name of Dam/Tank	District	Block/Local Body	Gross Storage Capacity in Mcft	Live Storage Capacity in Mcft
1	2	4	5	6	7
Less than 80 ha. CCA					
1	खारलाखेडा	ब्यावर	जवाजा	2.15	2.15
2	लोटियाना तालाब	ब्यावर	जवाजा	12.00	12.00
3	बनजारी तालाब	ब्यावर	जवाजा	6.70	6.70
4	भडूका तालाब	ब्यावर	जवाजा	8.00	8.00
5	भीम गोगेलाव	ब्यावर	जवाजा	6.50	6.50
6	दोलतखेडा सिंघा	ब्यावर	जवाजा	5.88	5.88
7	ढोसला तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.98	5.98
8	दुधलेश्वर तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.00	5.00
9	कालाटोला बाघमाल	ब्यावर	जवाजा	8.00	8.00
10	खाराबाला भगवानपुरा	ब्यावर	जवाजा	5.10	5.10
11	खरुंजा तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.50	5.50
12	लबूरी तालाब	ब्यावर	जवाजा	12.33	12.33
13	लाखीणा तालाब	ब्यावर	जवाजा	14.16	14.16
14	लोलेलाव तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.00	5.00
15	नाहरपुरा तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.35	5.35
16	नरबदखेडा तालाब	ब्यावर	जवाजा	13.93	13.93
17	पाडाभगड तालाब	ब्यावर	जवाजा	6.00	6.00
18	परबस्ती गणेशपुरा तालाब	ब्यावर	जवाजा	18.00	18.00
19	प्रेमसागर कांलिंजर	ब्यावर	जवाजा	8.07	8.07

20	सिरना तालाब	ब्यावर	जवाजा	10.00	10.00
21	सौकिया खेड़ा तालाब	ब्यावर	जवाजा	8.96	8.96
22	सनेरीया	ब्यावर	जवाजा	3.84	3.84
23	बाराबास तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.50	5.50
24	बागला तालाब	ब्यावर	जवाजा	4.42	4.42
25	बाघून्या तालाब	ब्यावर	बदनौर	6.00	6.00
26	बनी सागर जौनगढ़	ब्यावर	बदनौर	14.10	14.10
27	छोता भोजपुर	ब्यावर	बदनौर	10.00	10.00
28	गजवाई	ब्यावर	बदनौर	6.00	6.00
29	गिरधासागर भैरूखेड़ा	ब्यावर	बदनोर	8.00	8.00
30	गिरधासागर सैपोला	ब्यावर	बदनोर	10.00	10.00
31	गोविन्दपुरा	ब्यावर	बदनोर	5.20	5.20
32	गुलखेड़ा	ब्यावर	बदनोर	11.00	11.00
33	जोगिभरा ओजियाणा	ब्यावर	बदनोर	4.40	4.40
34	गुलाबसागर रामपुरा	ब्यावर	बदनोर	14.00	14.00
35	लाम्बा पाटन	ब्यावर	बदनोर	18.20	18.20
36	मेघसागर मोटरास	ब्यावर	बदनोर	8.00	8.00
37	नायला तालाब	ब्यावर	बदनोर	8.00	8.00
38	उन्दा पाटन	ब्यावर	बदनोर	6.30	6.30
39	विनोदसागर बदनौर	ब्यावर	बदनोर	19.00	19.00
40	छेटोला तालाब	ब्यावर	बदनोर	12.20	12.20
41	फुटिया डुम्बालिया	ब्यावर	जैतारण	17.85	17.85
42	बिराटीया खुर्द	ब्यावर	रायपुर	30.43	30.43
43	बड़ा तालाब मालिया	ब्यावर	मसूदा	0.25	0.25

44	करणी सागर नासून	ब्यावर	मसूदा	0.40	0.40
45	नया तालाब अन्धेरीदेवरी	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
46	पुराना तालाब अन्धेरीदेवरी	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
47	रामसागर सिकरानी	ब्यावर	मसूदा	0.23	0.23

44	करणी सागर नासून	ब्यावर	मसूदा	0.40	0.40
45	नया तालाब अन्धेरीदेवरी	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
46	पुराना तालाब अन्धेरीदेवरी	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
47	रामसागर सिकरानी	ब्यावर	मसूदा	0.23	0.23
48	शिवसागर शिवनगर	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
49	बहादुर सागर रामगढ	ब्यावर	मसूदा	0.40	0.40
50	बडा तालाब दौलतपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
51	बडा सागर दौलतपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
52	विजय सागर शोपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.40	0.40
53	प्रताप सागर केलू	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
54	काला तालाब शेरगढ	ब्यावर	मसूदा	0.23	0.23
55	फतेहसागर मुरलीया	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
56	शिवसागर लाम्बा	ब्यावर	मसूदा	0.31	0.31
57	बक्तावर सागर शेरगढ	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
58	स्वरूप सागर शिवपुरी	ब्यावर	मसूदा	0.34	0.34
59	मानाघाटी किराप	ब्यावर	मसूदा	0.42	0.42
60	भैरू सागर भैरूखेडा	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
61	देव सागर खिमपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
62	गोपालसागर मसूदा	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
63	रतन सागर मसूदा	ब्यावर	मसूदा	0.37	0.37
64	जावशिया तालाब श्यामगढ	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
65	बहादुर सागर बहादुरपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
66	लाम्बा टेंक कल्यानपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
67	नया तालाब जीवाणा	ब्यावर	मसूदा	0.19	0.19

68	खेतोलिया तालाब श्यामगढ	ब्यावर	मसूदा	0.30	0.30
69	कुण्डिया तालाब कुण्डिया	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
70	खेडा भगवानुपरा	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
71	भैरू सागर सेताना	ब्यावर	मसूदा	0.42	0.42
Above 80 to 300 ha. CCA					
72	अतीतमण्ड तालाब	ब्यावर	जवाजा	22.00	22.00
73	देवाता तालाब	ब्यावर	जवाजा	31.71	31.71
74	गोहाना तालाब	ब्यावर	जवाजा	34.12	34.12
75	गुन्दा का बाला	ब्यावर	जवाजा	21.48	21.48
76	जालिया पिथावास	ब्यावर	जवाजा	14.78	14.78
77	लस्सानी तालाब	ब्यावर	जवाजा	31.69	31.69
78	रूपनगर अरनाली	ब्यावर	जवाजा	21.73	21.73
79	सरवीना तालाब	ब्यावर	जवाजा	17.32	17.32
80	अखेसागर	ब्यावर	बदनोर	26.00	26.00
81	कंटालिया	ब्यावर	बदनोर	36.00	32.00
82	उन्दा मोर्टरास	ब्यावर	बदनोर	22.00	22.00
83	बलाडा	ब्यावर	जैतारण	13.20	13.20
84	धनरीया	ब्यावर	जैतारण	12.00	12.00
85	शिवसागर बुम्बालिया	ब्यावर	जैतारण	30.43	30.43
86	मीरा कुडकी	ब्यावर	जैतारण	31.00	31.00
87	गुलाब सागर	ब्यावर	रायपुर	15.76	15.76
88	साल नाडी	ब्यावर	रायपुर	21.42	21.42
89	बर	ब्यावर	रायपुर	58.72	58.72

90	शक्ति सागर खरवा	ब्यावर	मसूदा	173.02	173.02
91	बडा तालाब सताणा	ब्यावर	मसूदा	42.02	42.02
92	बडा तालाब सतवाडिया	ब्यावर	मसूदा	18.01	18.01
93	देवी सागर रामगढ	ब्यावर	मसूदा	13.06	13.06
94	सेमटा टैंक देवास	ब्यावर	मसूदा	21.89	21.89
95	नन्द सागर नन्दवाडा	ब्यावर	मसूदा	44.14	44.14
96	नीम सागर शिवपुरा	ब्यावर	मसूदा	25.07	25.07

Annexure-X

SAILENT FEATURE OF TANKS

S No	Tank	Capacity Mcft	Gauge	Gauge reader contact number	Areas most likely to be affected in case of overflow of the tank	Evacuation plan for the affected areas	Storage Discharge Table
1	फूलसागर जालिया	333.76	16'-0"	97996-02154	जालिया प्रथम, ब्यावर शहर, खेजडला, पुराना शहर	पंचायत भवन, सेजरला मिडिल स्कूल	
2	काली कांकर	59.93	13'-0"	97996-02154	काली कांकर, हिम्मतपुरा, किशनगढ	राजकीय स्कूल	
3	काबरा	49.80	11'-0"	97996-02154	ऊँटो का बाणिया, चवली, धौलादांता	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन	
4	मकरेडा	126.00	12'-0"	97996-02154	पुराना ब्यावर, गोपालपुरा	राजकीय स्कूल	
5	देलवाडा	86.20	15'-0"	97996-02154	नरसिंहपुरा, ब्यावर, मकरेडा, दौलतपुरा	पंचायत भवन, राजकीय स्कूल	
6	जवाजा	79.30	15'-0"	97996-02154	केला की नाडी, रूपाणा बरल	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन	
7	राजियावास	104.50	17'-6"	97996-02154	धनार, कालीजंर, मैरूखेडा, धोलादांता	राजकीय स्कूल	
8	बलाड़	122.92	16'-0"	97996-02154	गठी, जोधा का बाडिया, बलाड, ब्यावर	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन	
9	शेरो का बाला	19.13	9'-0''	97996-02154	तारागढ, शेरो का बाला	पंचायत भवन	
10	नारायण सागर जालिया II	704.00	16'-0"	80790-03545	जालिया द्वितीय, बिजयनगर, आसन	राजकीय स्कूल, जालिया द्वितीय	
11	लौहडी बांध	170.00	9'-0"	80790-03545	लोरडी, जौरावरपुरा, जयसिंहपुरा	राजकीय स्कूल, लोरडी	
12	देव सागर पाटन	211.00	19'-6"	98027-90911	पाटन, गारीयाखेडा, लाम्बा, मोर्टरास, ओझियाना,	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, पाटन,	
13	रायपुर लूणी बांध	325.56	13.30ft	9983800599	रायपुर, झुठा, कुशालपुरा, निम्बेडा, चावण्डिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, रायपुर	
14	गिरीनन्दा	200.00	27'-0'	9983800599	गिरी, खेडा मामावास, मेसिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, गिरी	
15	बाबरा	102.35	21'-4"	9983800599	बाबरा, देवगढ, रास	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, देवगढ	

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर
wrb305901@gmail.com
समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	सुश्री नन्दिनी जोशी	सहायक अभियंता	96605-93749
2	श्री गिरधारी लाल मुरारी	कनिष्ठ अभियंता	90018-88611
3	श्री पृथ्वीराज	कनिष्ठ अभियंता	81079-08098
4	श्री अजय प्रताप सिंह	वरिष्ठ लिपिक	98871-01796
5	श्री हितेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक	82337-84735
6	श्री रामलाल गुर्जर	पर्यवेक्षक	96026-82408
7	श्री नरेन्द्र सिंह	सहायक कर्मचारी	97996-02154
8	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	सहायक कर्मचारी	78508-42104

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण
समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री राधव सोनी	सहायक अभियंता	9565367418
2	श्री नवरतन	कनिष्ठ अभियंता	9983800599
5	श्री विनोद कुमार	कनिष्ठ सहायक	9772080720
6	श्री श्रवण सिंह	सहायक कर्मचारी	9829776920
7	श्री कानसिंह	चौकीदार	8852958008

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाड़ा (मसुदा)
समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री रामप्रसार मीणा	सहायक अभियंता	9414616180
2	श्री सुरेश सिंह (अनुभाग मसुदा)	कनिष्ठ अभियंता	8079003545
3	सुश्री ममता सोमोलिया (अनुभाग भिनाय)	कनिष्ठ अभियंता	8502805268

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, आसीन्द (बदनोर)
समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री दिनेश चन्द वर्मा	सहायक अभियंता	9802790911
2	श्री संदीप कुमार सैनी	कनिष्ठ अभियंता	7737214108
3	श्री देवेन्द्र कुमार बागडी	कनिष्ठ अभियंता	8107887701
4	श्री नन्दलाला तेली	मेट	9828495004
5	श्री मदनलाल सैंन	मेट	9166918191
6	श्री कैलाश सौलंकी	सहायक कर्मचारी	6378362099

Annexure-XII

वर्षाऋतु से पूर्व जिन बांधो में पानी उपलब्ध है, के जल स्तर की सूचना

क्र. सं.	बांध/तालाब का नाम	Gauge(feet)
उपखण्ड ब्यावर		
1	जवाजा	1'-9''
2	राजियावास	0'-5''
3	मकरेड़ा	8'-6''
उपखण्ड, जैतारण		
1	रायपुर लूणी बांध	2'-0''
2	गिरीनन्दा	2'-0''

इसके अतिरिक्त विभागीय तालाबों में जलस्तर शून्य है।

Annexure-XIII

वर्षाऋतु के दौरान आवश्यकता पडने पर बांधो के समीप ग्राम में उपलब्ध मशीनरी की सूची

क्र.सं.	मालिक का नाम	मोबाईल नम्बर	सामान का विवरण
उपखण्ड, ब्यावर			
1	श्री मोती सिंह सांखला	9829071367	जे.सी.बी., पोकलन मशीन, केन, ब्रोकर मशीन
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह	8949741265	तैराक
3	श्री शेर शाह/शकुर साह	6375066264	तैराक
4	श्री पोकर/चतुर्भुज बैरवा	9001305367	तैराक
5	श्री कपिल जी गौरा, फायर ऑफिस	9462411114 01462 258333	सहायक फायर बिग्रेड अधिकारी प्रभारी नगर परिषद ब्यावर
6	मै. शिवराम, मनाना	9829208279	जे.सी.बी., डम्पर्स इत्यादि
7	मै. शिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी ब्यावर	9829839518	वाटर टेंकर कंकीट मिक्स्चर मशीन एवं श्रमिक इत्यादि
8	मै. तत्व एक्स कम्पनी, ब्यावर	8561935507	वाटर टेंकर कंकीट मिक्स्चर मशीन एवं श्रमिक इत्यादि
उपखण्ड, बान्दनवाडा (मसूदा)			
1	श्री हंसराज गुर्जर, बडली	9414980041	जे.सी.बी.
2	श्री मनीष शर्मा, जालिया द्वितीय	9887956659	जे.सी.बी.
3	श्री बलराम चौधरी	9829278835	जे.सी.बी.
उपखण्ड, आसीन्द (बदनोर)			
1	श्री मटरू हरिजन	9672327670	गोताखोर
2	श्री पप्पू हरिजन	9672327670	गोताखोर
3	श्री रामचन्द्र दरोगा	7742452980	जे.सी.बी.
4	श्री वीरभान गुर्जर	7665022835	जे.सी.बी.
5	श्री दिनेश गुर्जर	7727820190	जे.सी.बी.
6	श्री नोरतमल चन्देल	9602282564	जे.सी.बी.
7	श्री मदन लाल खटीक	8949124018	जे.सी.बी.

Annexure-XIV

उपखण्ड ब्यावर के अर्न्तगत आने वाले तालाबों का रूट चार्ट

क्र. सं.	नाम तालाब	ग्राम पंचायत	रूट चार्ट ब्यावर से
1	जवाजा टैंक	जवाजा	ब्यावर से उदयपुर रोड दूरी 28 किमी.
2	राजियावास टैंक	राजियावास	ब्यावर से उदयपुर रोड दूरी 15 किमी.
3	बलाड टैंक	बलाड	ब्यावर से बलाड दूरी 10 किमी.
4	शेरो का बाला टैंक	तारागढ	ब्यावर से उदयपुर रोड दूरी 30 किमी.
5	फूलसागर जालिया	जालिया प्रथम	ब्यावर से काबरा कोटडा रोड दूरी 10 किमी.
6	कालीकांकर टैंक	किशनपुरा	ब्यावर से काबरा कोटडा रोड दूरी 18 किमी.
7	देलवाडा टैंक	देलवाडा	ब्यावर से देलवाडा रोड दूरी 10 किमी.
8	मकरेडा टैंक	सरमालिया	ब्यावर से पीसांगन रोड दूरी 8 किमी.
9	काबरा टैंक	काबरा	ब्यावर से काबरा कोटडा रोड दूरी 22 किमी.
10	नारायण सागर जालिया ।।	मसुदा	ब्यावर से मसुदा रोड दूरी 35 किमी.
11	लौरडी बांध	मसुदा	ब्यावर से मसुदा रोड दूरी 40 किमी
12	देव सागर पाटन	बदनोर	ब्यावर से बदनोर रोड दूरी 30 किमी
13	रायपुर लूणी बांध	रायपुर	ब्यावर से रायपुर रोड दूरी 32 किमी
14	गिरीनन्दा	रायपुर	ब्यावर से रायपुर रोड दूरी 24 किमी
15	बाबरा	रायपुर	ब्यावर से रायपुर रोड दूरी 21 किमी

पंचायत समिति जवाजा क्षैत्र के तालाबो का रूठ चार्ट

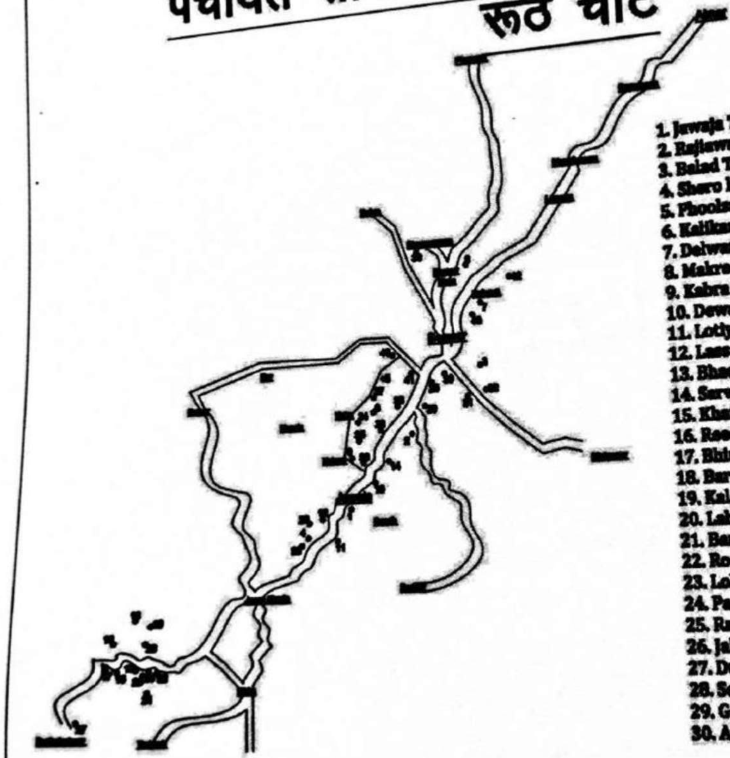

1. Jawaja Tank
2. Rajiawas Tank
3. Balad Tank
4. Shero ka Bala tank
5. Phoolsagar Jaliya
6. Kalikankar Tank
7. Delwara Tank
8. Makroda Tank
9. Kabra Tank
10. Dewata Tank
11. Lotiyana Tank
12. Lassani Tank
13. Bhaduka Tank
14. Serveena Tank
15. Kharunja Tank
16. Reechhava Tank
17. Bhim Gogelav Tank
18. Barawas Tank
19. Kalatola Baghmal Tank
20. Laboori Tank
21. Banjari Tank
22. Roopnagar Aranali Tank
23. Loleiaw Tank
24. Pada Bhagad Tank
25. Ratabhata Tank Ravatmal
26. Jaliya Pithawas Tank
27. Dudhaleshwar Tank
28. Sedriya Tank
29. Gohana Tank
30. Atitmant Tank
31. Gundo Ka Bala Tank
32. Bayala Tank
33. Prem Sagar Kalinger Tank
34. Rohida Kheda Tank
35. Kharala Kheda Tank
36. Naharpura Tank
37. Kishanpura Tank
38. Narbadkheda Tank
39. Khara Bala Bhagwanpura Tank
40. Dhosala Tank
41. Parbusti Ganeshpura Tank
42. Lakheena Tank
43. Daulatgarh Singha Tank

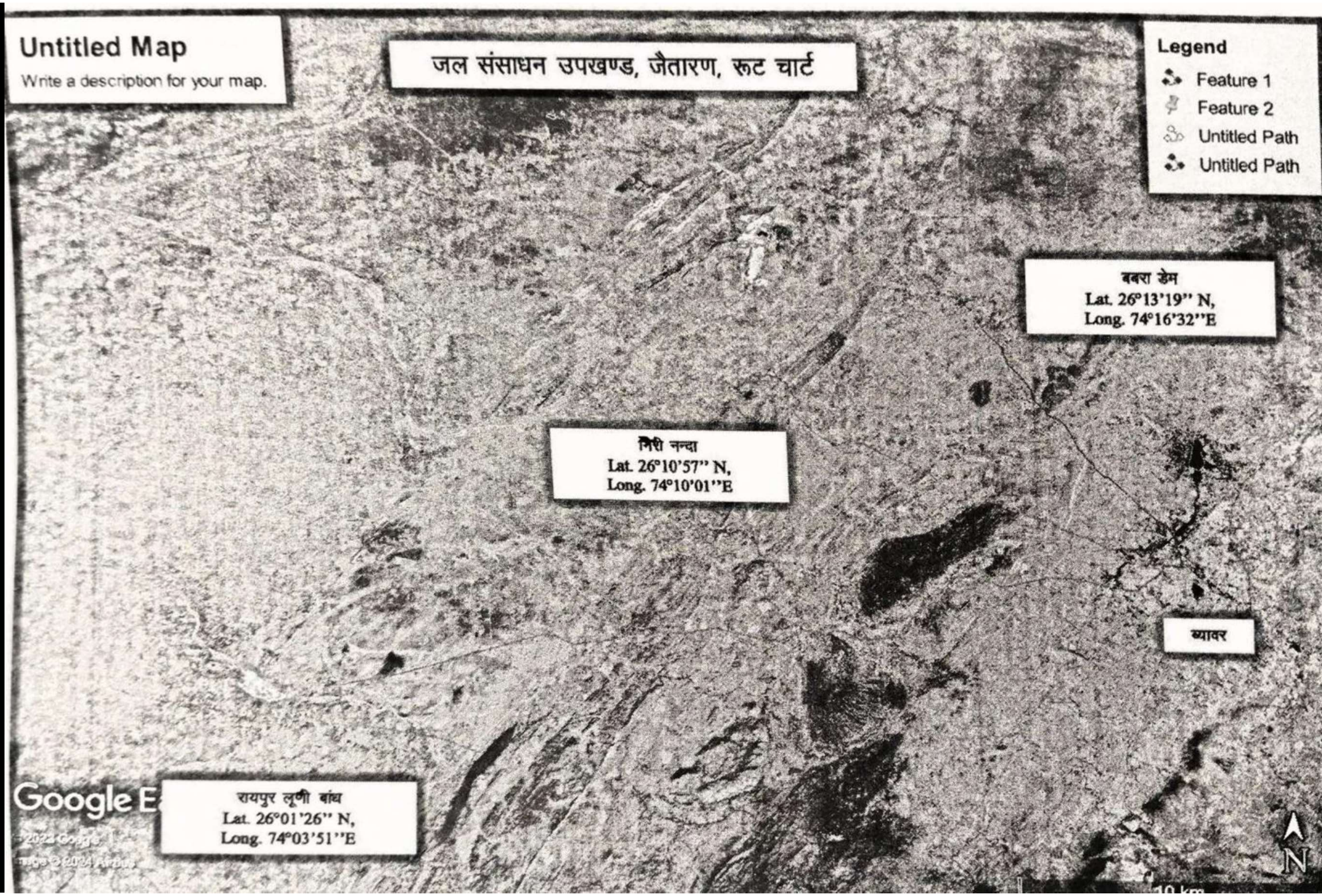

Untitled Map
Write a description for your map.
जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण, रूट चार्ट
Legend
Feature 1
Feature 2
Untitled Path
Untitled Path
बबरा डेम
Lat. 26°13'19'' N,
Long. 74°16'32''E
गिरी नन्दा
Lat. 26°10'57'' N,
Long. 74°10'01''E
ब्यावर
रायपुर लूणी बांध
Lat. 26°01'26'' N,
Long. 74°03'51''E
N